आज़ादी का अमृत महोत्सव

विश्व हिन्दी दिवस

विशेषांक

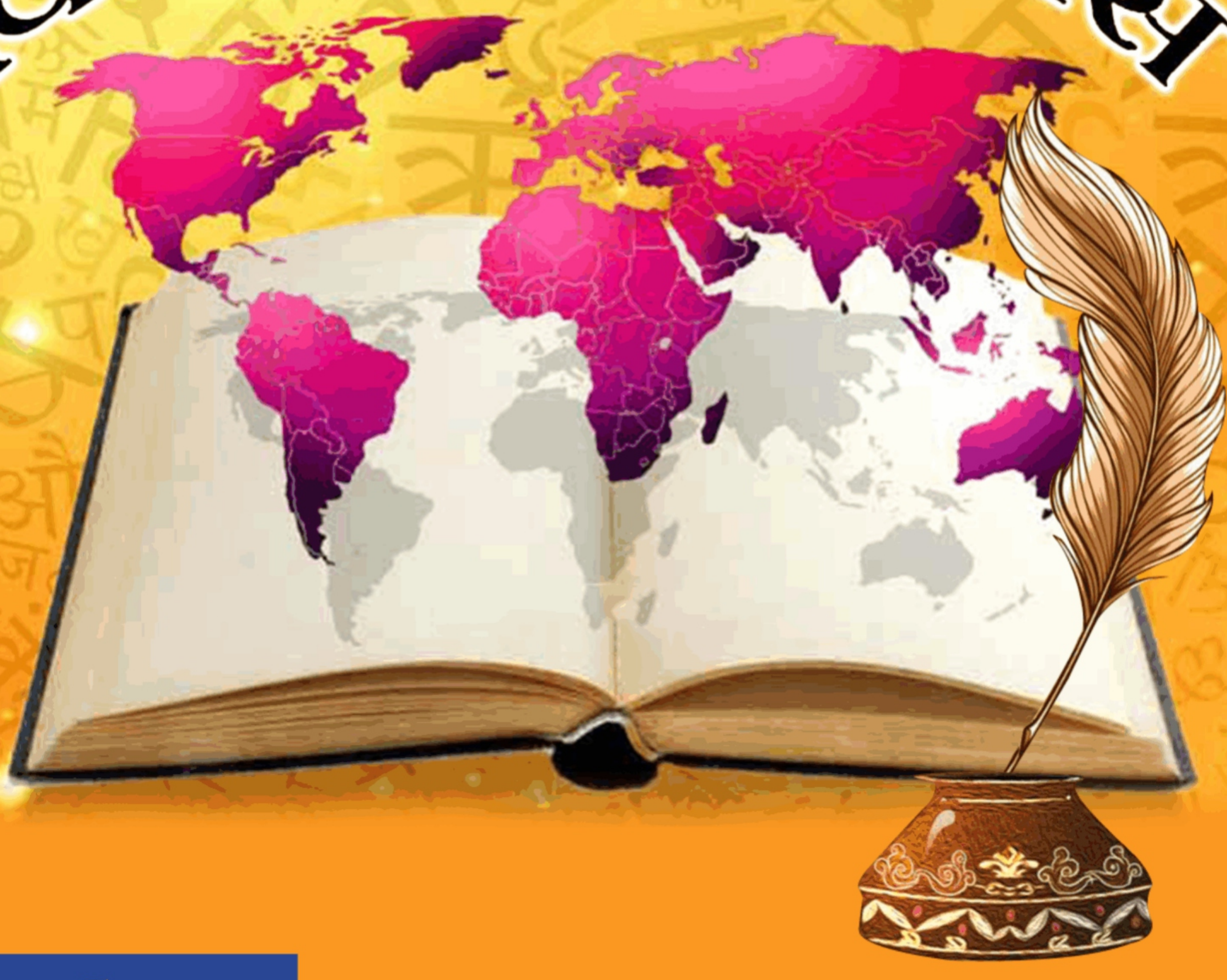

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

इंड छवि अंक: 20, जुलाई–दिसंबर 2021

नराकास चेन्नै (बैंक/वि.सं.) के संयोजक इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय को क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम) द्वारा दिनांक 04.12.2021 को हैदराबाद में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में वर्ष 2018-19 के लिए उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु चेन्नै नराकास (बैंक/वि.सं.) के संयोजक के तौर पर इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय को प्रतिष्ठित क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार (तृतीय) से सम्मानित किया गया।

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

मुख्य संरक्षक
श्री शांति लाल जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
श्री वी वी शेणॉय
कार्यपालक निदेशक
श्री इमरान अमीन सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक
श्री अश्वनी कुमार
कार्यपालक निदेशक

उप संरक्षक
श्री धनराज टी.
महाप्रबंधक (सीडीओ/राभा)

संपादक
श्री अजय कुमार
सहायक महाप्रबंधक(राभा)

सह संपादक
श्री भूपेश बारोट, प्रबंधक (राभा)

संपादन सहयोग
श्री केदार पंडित, वरिष्ठ प्रबंधक (राभा)
सुश्री आलोचना शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (राभा)
श्री इरफान आलम, वरिष्ठ प्रबंधक (राभा)
श्री कुलवेन्द्र सिंह, प्रबंधक (राभा)
श्री चन्दन कुमार शर्मा, प्रबंधक (राभा)
सुश्री श्वेता गंगिरेड्डी, प्रबंधक (राभा)
श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सहायक प्रबंधक (राभा)

पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं रचनाओं में व्यक्त विचार, लेखकों के अपने हैं। इंडियन बैंक का उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं रचनाओं के लेखकों एवं रचनाकारों से मौलिकता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

अनुक्रमणिका

संदेश
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश
संपादक की कलम से.....................

राजभाषा : प्रेरणा एवं प्रोत्साहन
भाषा एवं अभिव्यक्ति का संबंध
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिन्दी का महत्व
हिन्दी का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्व
हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का वैश्विक परिदृश्य
विश्व पटल पर हिन्दी की उपस्थिति
हिन्दी का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सफर
उन्नत और प्रखर है हिन्दी का सफर
राजभाषा के रूप में हिन्दी का विकास

कथा–साहित्य
आत्मसंयम
शिक्षा एवं संस्कार

काव्य–वीथि
माँ
हमने देखा आज सड़क पर
ग़ज़ल
प्रवासी मजदूर
कविताएं
यादों का मुसाफिर
सुप्रभात
प्रेम– जीवन का आधार

लेख

सूचना – तकनीकी एवं अन्य लेख
डिजिटल बैंकिंग : अवसर और चुनौतियाँ
साइबर अपराध

बैंकिंग जगत
अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) और दिवालिया क़ानून
भारतीय दर्शन में प्रबंधन की मूल अवधारणा

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

प्रिय सहकर्मियों,

हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय, राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका 'इंड छवि' के माध्यम से आप सभी से जुड़ते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

साथियों, इंड छवि के इस अंक को 'विश्व हिंदी दिवस' विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि दुनियाभर में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दिवस के महत्व को समझते हुए 10 जनवरी 2006 से प्रति वर्ष इस दिवस को 'विश्व हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, उपक्रमों आदि के साथ-साथ विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों / कार्यालयों / बैंकों आदि में भी विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन भव्यरूप से किया जाता है।

हिन्दी आज विश्व के अनेक देशों में बोली जा रही है। यह विश्वव्यापक भाषा के रूप में उभर चुकी है। यह एक सरल भाषा है जिसे आसानी से सीखा जा सकता है। इस भाषा की सरलता ही इसे विश्वव्यापी बनाने में सहायक सिद्ध हुई है। हिंदी में अब देश-विदेश की भाषाओं के असंख्य शब्द घुल-मिल गए हैं। यह वसुधैव कुटुबंकम का संदेश देती है। हिंदी के महान कथाकार एवं चिंतक मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं, जहां स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हिन्दी स्नेह की भाषा है, यह देश की एकता की कड़ी है।

हिन्दी भारत की चारों दिशाओं में बोली जाती है। इस भाषा में एक ऐसी शक्ति है जो संप्रेषण को सहज एवं स्वाभाविक रूप देती है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें लगभग हर ध्वनि को लिखा जा सकता है। इस लिपि में स्वर तथा व्यंजन क्रमबद्ध एवं वर्गीकृत हैं। प्रत्येक वर्ण के लिए उच्चारण है और वर्णों के उच्चारण में एकरूपता है। हिंदी में सभी भाषाओं के शब्दों को स्वीकारने की शक्ति है, इसमें संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, फ्रांसीसी, पश्तो, स्पेनिश, डच आदि अनेक देशी विदेशी भाषाओं के शब्दों की भरमार है।

भाषा समाज की बुनियाद है। भाषा के बगैर किसी समाज का ख़्याल भी नहीं किया जा सकता। हमारी भाषा का सीधा संबंध हमारी आत्मा से है, यों कह सकते हैं कि भाषा हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, उसके एक-एक अक्षर में हमारी आत्मा का प्रकाश है।

हिंदी आज वाणिज्यिक भाषा के रूप में उभरकर सामने आई है। भारत की ही नहीं, विश्व की बड़ी-बड़ी कंपनियां भी अब अपने उत्पादों का विपणन हिंदी भाषा के जरिए सफलतापूर्वक कर रही है। ऐसा कोई बहुराष्ट्रीय ब्रांड नहीं है जो हिंदी में विज्ञापन नहीं देता है। टीवी, इंटरनेट, फेसबुक, ट्वीटर, इत्यादि में हिंदी जिस गति से अपना सिक्का जमा रही है, इससे स्पष्ट है कि यह वैश्विक भाषा बन चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा अब नई योजनाओं के नाम भी हिंदी में दिए जा रहे हैं जो आम जनता के बीच बहुत ही प्रचलित हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में अधिकांश ग्राहक हिंदीभाषी हैं उन्हें हिंदी भाषा के माध्यम से सेवाएं प्रदान करें तो वे अधिक संतुष्ट होंगे। ग्राहक हमेशा सरल हिंदी का उपयोग पसंद करता है।

इस संदर्भ में यह कहना होगा कि क्षेत्रीय भाषाएँ भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जिनके माध्यम से हम नि:संदेह ग्राहक सेवा को और बेहतर बना सकते हैं तथा नए ग्राहक जोड़ सकते हैं। आइए, विश्व हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम सब हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार का प्रण लें ।

शुभकामनाओं के साथ

एस. एल. जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संपादक की कलम से......

मानव सभ्यता के आदिम काल से पूर्ण आधुनिक विकसित सभ्यता बनने तक भाषा की अहम भूमिका रही है। भाषा किसी भी संस्कृति के विकास एवं उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक तकनीकी एवं भूमंडलीकरण के युग में भी भाषा समस्त क्रिया-कलापों का आधार है। किसी भी सभ्यता की उन्नति में उसकी भाषा की ग्राह्यता, संप्रेषणीयता एवं स्वीकार्यता महत्वपूर्ण कारक होते है। हिन्दी उक्त समस्त विशेषताओं से संपन्न एवं समृद्ध है। इसीलिए इसका परचम भारत से लेकर विश्व के समस्त भू-भाग पर देखा जा सकता है।

व्यापार-वाणिज्य के क्षेत्र में भाषा की भूमिका प्राचीनकाल से ही देखी जा सकती है। भारत का विदेशी व्यापार बहुत प्राचीन है। विदेशी व्यापारियों का भारत में आगमन एवं भारतीय व्यापारियों का विदेशगमन दोनों प्रक्रियाओं में हिन्दी का प्रसार क्षेत्र व्यापक हुआ है। इसी के परिणामस्वरूप आज भी विदेशी धरती पर भी हिन्दी के प्रति रूचि एवं प्रेम दिखाई पड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी दिवस के अवसर पर बैंक की गृह पत्रिका इंड-छवि के 'विश्व हिन्दी दिवस विशेषांक' में इसी बात को रेखांकित किया गया है। विश्व हिन्दी दिवस मनाया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि हिन्दी का दायरा भारत से लेकर विश्व के अनेक कोनों तक विस्तृत है, जिसका कारण इस भाषा की सर्वग्राह्यता, समावेशी प्रवृत्ति एवं सामर्थ्य है।

आशा करते हैं कि आप सभी सुधी पाठकों को हमारा यह प्रयास अच्छा लगेगा।

आप सभी को विश्व हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

अजय कुमार
सहायक महाप्रबंधक(राभा)

सागर की अपनी क्षमता है
पर माँझी भी कब थकता है
जब तक साँसों में स्पन्दन है
उसका हाथ नहीं रूकता है
इसके ही बल पर कर डाले
सातों सागर पार
तूफानों की ओर घुमा दो
नाविक निज पतवार।

शिवमंगल सिंह 'सुमन'

भाषा एवं अभिव्यक्ति का संबंध

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल

उपरोक्त कथन में देश के कवि, लेखक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भाषा के प्रति अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है । मानव एक सामाजिक प्राणी है । मनुष्य अपने विचारों एवं भावनाओं को एक दूसरे से अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का ही प्रयोग करता है । अतः भाषा एवं अभिव्यक्ति का संबंध अटूट है ।

भाषा की अभिव्यक्ति के अनेक रूप होते हैं यथा मातृभाषा, मूक भाषा, स्थानीय भाषा, लेखन की भाषा, सांकेतिक भाषा इत्यादि । इन सभी भाषाओं का अभिव्यक्ति में विशेष योगदान होता है ।

मातृभाषा, जिसे हम बचपन से बोलते एवं समझते हैं। यह भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है । मातृभाषा आसानी से बोली व समझी जाने वाली अभिव्यक्ति की भाषा है।

मूक भाषा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उचित माध्यम है। इसी के द्वारा माँ अपने छोटे बच्चों की भावनाओं की अभिव्यक्ति को भलीभांति समझती है। पशु, पक्षी एवं जानवर भी मूक भाषा के द्वारा ही एक दूसरे की अभिव्यक्ति को भलीभांति समझते हैं।

स्थानीय भाषा - यह स्थान विशेष के स्थानीय लोगों द्वारा अपनी बातों, विचारों एवं भावनाओं को एक दूसरे से अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यह स्थानीय समस्याओं आदि के समाधान हेतु एक उचित मंच प्रदान करती है ।

सांकेतिक भाषा भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। इसमें विभिन्न संकेतों के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं आदि को व्यक्त करता है। मूक बधिर लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। सड़क मार्ग, चौराहों पर दिखाए गए या लिखे गए संकेतों के द्वारा ही हम यातायात (ट्रैफिक) नियमों का पालन करते हैं।

लेखन की भाषा के द्वारा कवि-लेखक अपनी कविताओं, छन्दों, दोहों, लोकोक्तियों, पत्र - पत्रिकाओं या समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों, देश-विदेश के क्रिया-कलापों, समस्याओं आदि की अभिव्यक्ति करते हैं।

भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त- बिना किसी धर्म, जाति, भेदभाव के देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति का अधिकार है। जिसे भाषा के द्वारा ही अभिव्यक्त किया जाता है। कार्यालयीन (ऑफिशियल) भाषा भी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके अन्तर्गत प्रबंधन व कामगारों, कर्मचारियों के समक्ष आयी विभिन्न समस्याओं, संस्थानों के व्यवसाय में प्रगति या प्रगति में आई बाधाओं का समाधान कार्यालयीन भाषा की अभिव्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है ।

बैंकिंग उद्योग में भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए, बैंक के लक्ष्यों की प्राप्ति, बैंक प्रबंधन व कर्मचारियों की समस्याओं का समुचित समाधान, ग्राहक सेवा में सुधार और बैंक की प्रगति हेतु ग्राहकों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों का माध्यम भी भाषा की अभिव्यक्ति ही होती हैं।

अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि भाषा एवं अभिव्यक्ति का संबंध अटूट है । प्रतिवर्ष सम्पूर्ण देश में सितंबर माह में मनाए जाने वाले हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा इत्यादि राजभाषा हिन्दी के लिए समर्पित होते हैं। इस दौरान विभिन्न कार्यालयों, संस्थानों द्वारा समय-समय पर खासतौर पर 14 सितंबर को विभिन्न संगोष्ठियों, समारोह का आयोजन किया जाता है। जिनमें राष्ट्रभाषा के प्रचार -प्रसार का संकल्प लिया जाता है।

साथ ही हिन्दी को अधिकाधिक अपनाने, हिन्दी में अधिकतम कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस अवसर पर राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों आदि को उचित पुरस्कार व स्मृति चिह्न आदि प्रदान किए जाते हैं।

राष्ट्रभाषा हिन्दी की महत्ता को देखते हुए कुछ विद्वानों एवं महान व्यक्तियों ने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं:-

- राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी हमारे देश की एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी, इसमें दोराय नहीं है।	(पं. जवाहर लाल नेहरू)
- उत्तर और दक्षिण का सेतु हिन्दी ही हो सकती है।	(प्रो. चन्द्रहासन)
- हिन्दी के बिना हिन्दुस्तान अपने गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता।	(पुरुषोत्तम दास टंडन)
- हिन्दी अब सारे भारत की राष्ट्रभाषा बन गई है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए।	(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद)
- देश को किसी संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है और भारत में वह केवल हिन्दी ही हो सकती है।	(श्रीमती इंदिरा गांधी)
- यदि हम भारत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते है, तो हिन्दी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है।	(महात्मा गांधी)
- हिन्दी ही ऐसी भाषा है, जो भारत में सर्वत्र बोली व समझी जाती है।	(डॉ. गियर्सन)

इन विद्वानों के कथनों से यही प्रतीत होता है कि -

"हम सब की यही अभिलाषा,
हिन्दी बने जन -जन की भाषा"।

उपरोक्त स्लोगन को ध्यान में रखते हुए, आओ हम सभी यह प्रण ले कि आज से ही, हम अपना अधिकतम कार्य राजभाषा हिन्दी में ही करेंगे एवं दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।

दुर्भाग्य से देश में सितंबर माह के बाद राजभाषा हिन्दी को भुला दिया जाता है। इसीलिए राजभाषा होने के बावजूद हिन्दी अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकी।

अतः देश के प्रत्येक नागरिक को समर्पित भावना से राजभाषा हिन्दी में ही काम करना चाहिए, तभी राजभाषा हिन्दी अपना समुचित गौरवान्वित स्थान पा सकती है।

ताराचन्द
सहायक शाखा प्रबंधक
उपेडा शाखा
अंचल कार्यालय, मेरठ

"वाक्य अर्थ का हो प्रत्याशी,
गीत शब्द का कब अभिलाषी?
अंतर में पराग-सी छाई है
स्मृतियों की आशा धूली!
प्राण तुम्हारी पदरज फूली!"
-अज्ञेय

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हिन्दी का महत्व

दिपाली चंद्रा
सहायक महाप्रबंधक एवं प्राचार्य
स्टाफ कॉलेज लखनऊ

प्रस्तावना: हिन्दी भाषा हिंदुस्तान की अस्मिता और एक राष्ट्र के रूप में उसकी वैश्विक उपस्थिति की भाषा है। हिन्दी भाषा अर्थात हिंदुस्तान की भाषा । मौजूदा समय में विश्व भर में सात हज़ार से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं और नवीनतम सर्वेक्षणों के अनुसार भाषाओं के बोलने वालों और उसके प्रयोक्ताओं के आधार पर हिन्दी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा व्यवहार में लायी जाने वाली भाषा है। ऋग्वेद के मंत्र - यत्र विश्वं भवेत्येक नीडं के अनुरूप पूरे विश्व भर में भौगोलिक दूरियाँ मिटने और विश्व के अधिकांश देशों में भारतवंशियों की मौजूदगी के कारण हिन्दी भाषा का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत एक बहुभाषी देश है और यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियाँ बहुतायत में व्यवहार में लायी जाती हैं। देश के संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई है। तथापि, संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है जिनमें से एक भाषा हिन्दी भी है। इसके बावजूद, हिन्दी हमारे देश की एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में बोली और समझी जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, हमारे देश की 57% से अधिक जनता द्वारा हिन्दी बोली जाती है और शेष जनता के लिए भी स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं के उपरांत सर्वाधिक समझी और व्यवहार में लायी जानेवाली भाषा है। यह हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के व्यापक स्तर पर व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा अथवा संपर्क भाषा होने का प्रमाण है। इस स्तर तक हिन्दी के विकास की यात्रा में सरकारी प्रयासों के साथ ही साथ अनेक गैर-सरकारी, सामूहिक एवं वैयक्तिक प्रयासों का यथेष्ट योगदान है।

राष्ट्रीय परिदृश्य में हिन्दी का महत्व : राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति की जब कभी बात आती है तो हमें देश की आजादी के आन्दोलन की ओर लौटना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद आजादी के आंदोलन की बागडोर संभालते समय महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा था कि देश की आजादी का आंदोलन चलाने से पहले देश और देश की जनता को जानना जरूरी है। गोखले जी के मार्गदर्शन के अनुरूप गाँधी जी ने संपूर्ण देश का व्यापक दौरा किया। गाँधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान यह महसूस किया कि पूरे देश में हिन्दी भाषा ही एक ऐसी भाषा ही जो हमारे बहुभाषी देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली और समझी जाती है। इसलिए, उन्होंने हिन्दी को अपने संदेश की भाषा बनाया तथा आजादी के बारे में जनजागरण तथा जन-जन तक इस भाषा का प्रसार करने के लिए वर्ष 1918 में दक्षिण भारत राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन किया। उसके बाद आजादी के आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं द्वारा अपने संबोधनों और संदेशों में हिन्दी का ही प्रयोग किया गया।

आजादी के बाद हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि, राजभाषा बनी अर्थात शासकीय कामकाज की भाषा। विश्व के उन तमाम देशों में जहाँ ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक सत्ता थी, उन देशों में शासन की भाषा अंग्रेजी ही हो गई थी। तथापि, जिन देशों में अपनी भाषा अपनी संस्कृति की जड़ें गहरी और मजबूत थी, वहाँ फिर से उस देश की भाषा स्वशासन और संपर्क की भाषा बन गई। किन्तु, जहाँ दासता की मानसिकता प्रबलतापूर्वक पैठ जमा चुकी थी, वहाँ स्थितियाँ थोड़ी अलग रही। संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि आजादी के 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी भाषा शासन व्यवस्था से विलुप्त हो जाएगी, तथापि, आजादी के बाद अब भी अंग्रेजी देश की सह-राजभाषा के रूप में कायम है।

इसके बावजूद, सकारात्मक नजरिए से देखा जाए तो देश में हिन्दी की विकास यात्रा शानदार रही है। आजादी के बाद हिन्दी भाषा के प्रसार के लिए सरकारी प्रयासों - राष्ट्रपति के आदेश संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय हिन्दी समिति, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, हिन्दी सलाहकार समितियों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, सी-डैक द्वारा तकनीकी विकास संबंधी पहल, केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो; गैर सरकारी संस्थाओं - नागरी प्रचारिणी सभा, काशी; हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग; दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा; केरल हिन्दी प्रचार सभा, तिरूवनंतपुरम; मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बैंगलोर तथा साहित्य अकादमी, नई दिल्ली आदि अन्यान्य संस्थाओं द्वारा हिन्दी भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए भरपूर प्रयास किए गए हैं। दक्षिण भारत में हिन्दी की सेवा में कार्यरत संस्थानों द्वारा असाधारण कार्य किया गया है, जिसके कारण हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रसार बढ़ा है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा हिन्दी प्रचार समाचार' नामक मासिक पत्रिका तथा दक्षिण भारत नामक द्विमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं के साथ ही साथ इन संस्थाओं द्वारा एवं विशेष रूप से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा आन्ध्रप्रदेश में हिन्दी के प्रसार के लिए महनीय कार्य किया जा रहा है।

भारत सरकार के कार्यालयों एवं उपक्रमों आदि में सरकारी कामकाज तथा जनता के साथ पत्र व्यवहार और संपर्क अभियान में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्रियान्वयन, निरीक्षण तथा उसकी समीक्षा की शासकीय व्यवस्थाएँ की गई हैं। हिन्दी भाषा को सरल और सहज बनाने के अपने प्रयासों के तहत सरकार ने इसे अनुवाद की भाषा की बजाय संवाद की भाषा बनाने पर जोर दिया है।

हिन्दी के सहज विकास पर कवि गोपाल सिंह नेपाली की कविता बरबस याद आती है कि -

दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो।
हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो ।।
यह दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है।
थी अमर शहीदों की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा है।।
मेवा है इसकी सेवा में, नयनों को कभी न झंपने दो।
हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो।।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हिन्दी का महत्व : हिन्दी को देश की परिधि से बाहर निकालकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठित करने में बरबस प्रवासन को मजबूर गिरमिटिया मजदूरों और सुनहरे भविष्य की संभावनाओं की तलाश में विदेशों की ओर कूच करनेवाले भारतवंशियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक पटल पर थोड़ी-बहुत स्वरूपगत विविधताओं के साथ हिन्दी हमारे पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापूर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, गुयाना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन,रूस, अमेरिका और मध्यपूर्व के देशों जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा अनेक दक्षिणी अफ्रीकी देशों में भी बोली एवं समझी जाती है। दुनिया भर के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्ययन-अध्यापन के केंद्र/ पीठ खोले गए। इन देशों में भारतीय भाषाओं और हिन्दी के प्रचार के लिए

अनेक संस्थाएं कार्यरत है। विश्व हिन्दी सचिवालय, वैश्विक हिन्दी परिवार, कनाडा; अक्षरम भारत, हिन्दी भवन, भोपाल; सम्यक न्यास, वातायन, यूनाइटेड किंगडम; हिन्दी राइटर्स गिल्ड, कनाडा; झिलमिल, अमेरिका; सिंगापुर से प्रकाशित पत्रिकाएँ गर्भनाल, सिंगापुर संगम और कविताई सिंगापुर; काव्यरंग, ब्रिटेन; भारतीय अध्ययन केंद्र, लिस्बन विश्वविद्यालय तथा भारत दर्शन, न्यूजीलैंड आदि अनेक संस्थाओं द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

विश्व के जिस किसी भी भाग में भारतवंशियों ने अपनी जड़ें जमाई हैं, वहाँ उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति, व्यवहार एवं सहिष्णुता आदि गुणों के द्वारा उस देश की जनता को अपनी ओर बरबस आकृष्ट अवश्य किया है। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी भाषा के विकास के और अनेक आयाम हैं। भारतीय मूल के प्रवासियों या भारतवंशियों ने अपनी भाषा-अपनी संस्कृति के प्रेमवश स्थानीय भाषाओं के दैनिक प्रयोग के साथ ही साथ अपनी हिन्दी भाषा को उसके मूल स्वरूप में बचाए रखा है और उसे निरंतर सिंचित-पोषित किया है, ताकि आगामी पीढ़ी को सौंपी जाने वाली भाषा का संस्कार अक्षुण्ण रखा जा सके। भाषाओं के विकास के अध्ययन में यह भी एक बेहद रोचक तथ्य है कि विदेशी विद्वानों, अध्येताओं द्वारा भी भारतीय संस्कृति एवं भारतीय भाषाओं के विकास में अप्रतिम योगदान किया गया है।

हिन्दी भाषा के विकास में फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दा तासी, 'भारत का भाषाई सर्वेक्षण' के प्रणेता जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, इमरे बंघा, मारिओला औफ्रेदी, प्रोफेसर लोठार लूत्से आदि अनेक हिन्दी प्रेमियों तथा मौजूदा दौर में श्री तोमियो मिजोकामी आदि विद्वानों का नाम तथा हिन्दी के प्रसार के लिए किया गया उनका काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने हिन्दी भाषा के प्रति अपने निजी अनुराग के कारण हिन्दी की उल्लेखनीय सेवा की है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा होने के कारण कूटनीतिक कारणों तथा व्यावसायिक कारणों से भी वैश्विक पटल पर हिन्दी का प्रचार-प्रसार हुआ है। तथापि, जब वैश्विक पटल पर यह महसूस किया गया है कि भारत के साथ संवाद के लिए हिन्दी जानना कोई बाध्यता नहीं है और अंग्रेजी द्वारा भी भारत के साथ राजनयिक संबंधों का परिपालन किया जा सकता है तो इसकी रफ्तार तनिक कुंद अवश्य हुई है। परंतु उल्लेखनीय है कि ऐसी स्थिति अंग्रेजों के उपनिवेश वाले अधिकांश देशों में हुई है। शासकीय स्तर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिन्दी भाषा के प्रयोग के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संयुक्त राष्ट्र में संबोधन का जिक्र आता है।

उपसंहार : आजादी के बाद संविधान में राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा के उपरांत हिन्दी की विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं। हिन्दी भाषा के विकास के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशाल बाज़ार के रूप में भारत की पहचान ने हिन्दी भाषा के विकास के लिए संभावनाओं के अनंत द्वार खोल दिए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिन्दी भाषा में संबोधन से एक शक्तिसंपन्न राष्ट्र की समृद्ध भाषा के रूप में हिन्दी को नया विस्तार मिला है। भाषा गौरव और भाषा सम्मान का बोध किसी भी भाषा के सम्यक विकास के लिए आवश्यक तत्व है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी के शब्दों में स्वदेश और स्वभाषा का गौरव ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। इसलिए, बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार हिन्दी के स्वाभाविक विस्तार और विकास के साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान पीढ़ी और आनेवाली पीढ़ियों के लिए भारतीय संस्कृति की अस्मिता के रूप में हिन्दी भाषा के महत्व को उत्तरोत्तर प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया को प्रवाहमान बनाए रखना होगा।

......

नया इतिहास लिखता है हमारा देश तन्मय हो,
नए विज्ञान के युग में हमारे देश की जय हो।
अखंडित एकता बोले हमारे देश की भाषा,
हमारी भारतीय से है हमें यह एक अभिलाषा।
-आरसी प्रसाद सिंह

हिन्दी का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्व

हिन्दी की व्यापकता एवं प्रचलन को देखते हुए संविधान सभा द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिन्दी का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। आजादी के पूर्व भी हिन्दी देश की संपर्क भाषा रही है तथा देश के स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों तथा जनता के बीच संवाद बनाए रखने में प्रभावी भूमिका निभाई है।

भाषा हमारी पहचान है। भारत बहु भाषाओं का देश है। यहाँ यह कहावत प्रचलित है- 'कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी'। हमारी सारी भाषाएं हमें प्रिय हैं। क्षेत्रीय भाषाओं का अपना एक दायरा होता है। जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर पर भाषा की बात है, उसके लिए हिन्दी को अपनाया गया है।

हिन्दी हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी बोली जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 से विश्व हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है। इसके पीछे मूल संकल्पना है -हिन्दी को विश्व भाषा बनाना तथा यह संकल्पना मूर्त रूप ले रही है। इस दिन विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, संस्थाओं में हिन्दी में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों का लक्ष्य है-हिन्दी को विश्व पटल पर स्थापित करना।

हिन्दी भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए हिन्दी को समृद्ध बनाने के लिए इसमें प्रमुखत: संस्कृत से तथा गौण रूप से भारतीय भाषाओं से शब्द लिए गए हैं। भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं। हर दृष्टि से हिन्दी को सर्वग्राह्य बनाने के लिए हिन्दी वर्णमाला को मानक रूप दिया गया है। अपनी सर्वग्राह्यता के बल पर ही कोई भाषा अपनी व्यापकता बढ़ा सकती है। हिन्दी को सर्वग्राही एवं सर्व समावेशी बनाना होगा।

नई पीढ़ी के बीच हिन्दी को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से व्यावहारिक हिन्दी का पाठ्यक्रम भी चलाया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में प्रयोजनमूलक हिन्दी का पठन -पाठन किया जाता है। प्रयोजनमूलक हिन्दी के पठन -पाठन का उद्देश्य यह है कि छात्रों को साहित्यिक हिन्दी से इतर कार्यालयीन हिन्दी, व्यावसायिक हिन्दी से परिचित कराया जाए ताकि वे कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में कार्यालयीन कामकाज कर सकें। विश्वविद्यालयों के छात्रों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों यथा बैंक, बीमा आदि कार्यालयों में भेजकर कार्यालयीन कामकाज करना सिखाया जाता है।

हिन्दी का लक्ष्य अंतिम आदमी तक पहुँचना है। कोई भी भाषा प्रयोग के बल पर ही जीवित रहती है। अत: अपनी भाषा को आत्मसात करके उसका निरंतर संवर्धन एवं परिवर्धन करना है। हिन्दी का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्व सर्वविदित है। विश्व के अनेक देशों एवं विश्वविद्यालयों में हिन्दी के पठन-पाठन की व्यवस्था है। विदेशी छात्र भारत में हिन्दी पढ़ने आते हैं। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अपने-अपने देशों में हिन्दी के अध्ययन के साथ पत्रकारिता, मीडिया के प्रसारण, अनुवाद आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भारत से हिन्दी प्राध्यापक विदेशों में हिन्दी पढ़ाने जाते हैं। विश्व समुदाय में हिन्दी को लेकर जिज्ञासा बढ़ी है। इंटरनेट पर हिन्दी में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान समय में बाजार हम पर हावी है। बाजार में हिन्दी की माँग बढ़ी है। अखबार, समाचार चैनल, मीडिया, मनोरंजन चैनल-सर्वत्र हिन्दी की माँग है। हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में हिन्दी फिल्मों का प्रचुर योगदान है। इससे हिन्दी में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। बाजार की माँग ने हिन्दी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया है।

हिन्दी वेगवती नदी की तरह है, जो अपना मार्ग स्वत: प्रशस्त करती जा रही है। हमारी सरकार तथा गैर सरकारी व स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। हिन्दी की सहजता एवं सरलता इसे लोकप्रिय बनाती है। हिन्दी में सर्वग्राह्यता है। यह एक वैज्ञानिक भाषा है। हिन्दी के मानकीकरण ने इसके प्रचार-प्रसार को आसान बनाया है। जन-जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्दों को आसानी से आत्मसात करने का गुण है। इस गुण से हिन्दी के प्रचार -प्रसार को और बढ़ावा मिला है।

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिन्दी के महत्व पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचारों को उद्धृत किया जा सकता है-भारत वर्ष के पड़ोसी देशों में आजकल हिन्दी साहित्य पढ़ने और समझने की तीव्र लालसा जाग्रत हुई है। चीन, मलय, सुमात्रा, जावा, समस्त एशिया से माँग आ रही है। एशिया के देश अब अंग्रेजी पुस्तकों में प्राप्त सूचनाओं से संतुष्ट नहीं हैं। वे देशी दृष्टि से देशी भाषा में साहित्य खोजने लगे हैं। आगे यह जिज्ञासा और भी तीव्र होगी।

इसी क्रम में डा. सुरेश माहेश्वरी ने लिखा है-आज विश्व में भारत ने अपनी पहचान बना ली है। भारत एक स्वतंत्र जनतांत्रिक राष्ट्र है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का मुखिया भारत है। सार्क परिषद का प्रणेता और संस्कृति की दृष्टि से भी वह विश्व का पथप्रदर्शक और अगुआ है। ऐसे भारत की भाषा हिन्दी है। इसलिए यदि भारत से निकटता बनानी हो तो हमें हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन को महत्व देना चाहिए, ऐसा विश्व के राष्ट्रों ने सोचा है। दूसरे भारतवंशी लोग रोजगार हेतु पश्चिम के राष्ट्रों में गए हैं और पूरब के राष्ट्रों में भाईचारा, स्नेह, संस्कृति को लेकर अपना स्थान बनाया है। इस कारण से भी हिन्दी के अपने एक वैश्विक दायरे का निर्माण हुआ है

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल है। भारतीय संस्कृति की परंपरा में आत्मसात करने का गुण है। किसी कवि ने कहा है कि काफिले बसते गए, हिन्दुस्ताँ बनता गया। भारतीय संस्कृति की तरह हिन्दी भी अपनी सर्वग्राह्यता एवं सर्वसमावेशन के बल पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर अग्रसर रहेगी।

जय प्रकाश पाण्डेय
वरिष्ठ प्रबंधक(राजभाषा)
अंचल कार्यालय, वाराणसी

सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में,
कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी,
मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी,
कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी,
चलेगा सदा नाश का खेल यों ही,
भले ही दिवाली यहाँ रोज आए,
जलाओ दिये पर रहे ध्यान इतना अँधेरा
धरा पर कहीं पर कहीं रह न जाए।
-गोपालदास 'नीरज'

हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का वैश्विक परिदृश्य

आज का दौर सूचना क्रांति तथा नवोन्मेष का है जिसमें विज्ञान ने ब्रह्मांड के अनगिनत अज्ञात रहस्यों को हमारे सामने प्रदर्शित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञान और तकनीक के सहारे आज की 21 वीं सदी बीसवीं शताब्दी से ज्यादा तीव्र परिवर्तनों वाली तथा चमत्कारिक उपलब्धियों वाली शताब्दी सिद्ध हो रही है। नित नये-नये आविष्कारों के कारण आज सम्पूर्ण विश्व एक वैश्विक ग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया है जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय तथा भौगोलिक दूरियां लगभग समाप्त हो गई हैं । विश्व में हो रहे इन परिवर्तनों का प्रभाव विश्व की भाषा, साहित्य एवं समाज पर भी निरंतर पड़ रहा है । भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है । विविधता से भरे इस देश में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करती है । यह भारत की समसामयिक संस्कृति की संवाहिका है जो भारत के अधिकांश प्रदेशों में बोली व समझी जाती है । अत: भारत की विकासमान अंतर्राष्ट्रीय हैसियत हिंदी भाषा के लिए भी वरदान साबित हो रही है । दुनिया में हिंदी भाषा का महत्त्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज पूरे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है जो इस भाषा की सर्वव्यापकता तथा लोकप्रियता को दर्शाता है । आज सम्पूर्ण विश्व में हिंदी भाषा का जो डंका बज रहा है उसमें विश्व पटल पर भारत देश की बढ़ती शक्ति के साथ-साथ इस भाषा को लिखित रूप देने वाली 'देवनागरी लिपि' का भी महत्वपूर्ण योगदान है जो अपनी व्यापकता, सरलता एवं वैज्ञानिकता के बल पर हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका का निर्वहन कर रही है ।

भाषाओं और लिपियों के उद्भव को लेकर आज भी कयास लगाये जाते हैं । लेकिन विभिन्न वैज्ञानिक शोधों के परिणामस्वरूप यह तथ्य स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य द्वारा लिपिबद्ध लेखन का प्राचीनतम प्रयास संभवतः 10000 ई.पूर्व किया गया था। लिपि की इस विकासयात्रा को चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि से लेकर ध्वन्यात्मक लिपि के रूप में देखा जा सकता है। जिसे मूल रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है । पहले भाग में बिना अक्षर या वर्ण की लिपि है जिसमें चीनी, क्यूनीफ़ार्म, क्रीट की लिपि, सिंधु घाटी की लिपि, हिट्टाइट लिपि, प्राचीन मध्य अमरीका तथा मैक्सिको की लिपि शामिल है तथा दूसरे भाग में अक्षर या वर्ण लिपि है जिसमें सामी लिपि, हिब्रू लिपि, रोमन लिपि, फोनेशियन लिपि, खरोष्ठी लिपि, आर्मेइक लिपि, अरबी लिपि, नागरी लिपि, ग्रीक लिपि एवं लैटिन लिपि आदि शामिल है। इन लिपियों में से विश्व पटल पर तीन लिपियों को सबसे अधिक महत्त्व दिया जाता है - रोमन लिपि, चीनी लिपि एवं नागरी लिपि ।

एक आँकड़े के अनुसार आज पूरी दुनिया में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती हैं जिनको कागज पर उकेरने अर्थात उसे लिखित एवं मूर्त रूप देने के लिए लगभग 3866 लिपियों का प्रयोग किया जाता है । हमें यह जानकार आश्चर्य होगा कि इन 3866 लिपियों में से 'देवनागरी लिपि' को सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं उत्कृष्ट लिपि माना जाता है जिसके पीछे मुख्य कारण इस लिपि की ध्वन्यात्मकता है क्योंकि यह दुनिया की उन गिनी-चुनी लिपियों में से एक है जो अपने उच्चरित स्वरूप में ही लिखी जाती है । इन तथ्यों के साथ लिपिचिन्हों की पर्याप्तता, एक ध्वनि के लिए एक लिपिचिन्ह, एक लिपिचिन्ह से एक ही ध्वनि की अभिव्यक्ति, ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र लिपिचिन्ह अल्पप्राण तथा महाप्राण व्यंजन के लिए स्वतंत्र लिपिचिन्ह एवं मात्राओं का प्रयोग आदि इस लिपि को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लिपियों में से एक बनाता है । अगर इतिहास के पन्नों में देखें तो पता चलता हैं कि नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और सर्वप्रथम इस लिपि का प्रयोग 7 वीं - 8 वीं सदी में गुजरात में जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था । देवनागरी लिपि भारत की प्रधान लिपि है । भारतीय संविधान ने इस लिपि को 'राजलिपि' का दर्जा प्रदान किया है । देवनागरी लिपि अनेक भारतीय भाषाओं यथा संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी (हिंदी की समस्त भारतीय बोलियाँ), नेपाली, मराठी, कोंकणी एवं सिंधी आदि के अलावा कुछ स्थितियों में उर्दू, पंजाबी एवं गुजराती आदि की भी लिपि रही है ।

हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में इंटरनेट (डिजिटल) माध्यम का योगदान अहम् सिद्ध हुआ है। बढ़ते बाजारीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद की बिक्री हेतु अनुकूल वातावरण के लिए हिंदी भाषा को अपनाया जा रहा है।

संसार की किसी भी भाषा का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि भाषा अपने रूप में ध्वनियों पर आधारित होती है और यही ध्वनियाँ ही उच्चरित होती हैं तथा सुनी जाती हैं । अत: प्रत्येक भाषा की काल-सीमा होती है। वह तभी सुनी जा सकती है, जब वह बोली जाती है । इस तरह काल एवं बंधन से निकालने के लिए लिपियों का प्रयोग किया जाता है । लिपि और भाषा से जुड़े समग्र तथ्यों का मूलभूत अध्ययन करने से पता चलता है कि भाषा मुख्यत: अपनी ध्वनियों पर ही निर्भर करती है । इस दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया की हर लिपि में मानव की शत-प्रतिशत भावनाओं की अभिव्यक्ति देने की क्षमता में थोड़ी बहुत कमी लगभग हरेक भाषा में है लेकिन यदि इसके सबसे नज़दीक कोई लिपि है तो वह नि:संदेह देवनागरी लिपि ही है । आज के युग में जिस प्रकार भाषाएँ तेजी से अपना अस्तित्व खो रही हैं ऐसे में देवनागरी लिपि हमारे प्राचीन धरोहरों की संरक्षिका के रूप में अपना कार्य कर रही है ।

देवनागरी लिपि की सर्वोत्कृष्टता इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इस लिपि को केवल भारतीय विद्वानों ने ही नहीं बल्कि फादर कामिल बुल्के, आदिलेन स्मेकल, अलिक्सेई बरान्निकोय, डॉ. येकोनी चेलीशेव, लोठार लूत्से, डॉ. इव, प्रो. तोशियो, प्रो. कचारुको इत्यादि जैसे पश्चिमी देशों के विद्वानों ने भी इसे विश्व की सरलतम एवं वैज्ञानिक लिपियों में से एक माना है । आज दुनिया के लगभग 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन होता है जिसमें से अधिकांश, लगभग 30, केवल अमेरिका में स्थित हैं । आज सिंगापूर, मॉरीशस, फ़िजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, इन्डोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, चीन, नेपाल, भूटान एवं रूस इत्यादि जैसे देशों में हिंदी का पठन-पाठन होता है । चूंकि लिपि भाषा की अनुगामिनी होती है। अत: विश्व में हिंदी के बढ़ते वर्चस्व से देवनागिरी लिपि का भी प्रचार-प्रसार हो रहा है । इस प्रकार भाषा विस्तारीकरण की यह प्रक्रिया देवनागरी लिपि को वैश्वीकरण से जोड़ रही है । हिंदी भाषा के विस्तारीकरण की इस प्रक्रिया ने देवनागरी लिपि को अधिक उदार, लचीली, संवेदनशील तथा स्पंदनशील बनाया है । बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापनों से भी यह लिपि आधुनिक दौर में स्वयं को ऊर्जावान एवं हरेक तक पहुँच बनाने में सक्षम बना रही है ।

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप दुनिया की तमाम भाषाएँ अपने विकसित एवं समृद्धशाली साहित्य से अपने ज्ञान भंडार को भर रही हैं । इतने विस्तृत साहित्य को अगर एक पटल पर सजाकर तैयार करने की बात आए तो नि:संदेह इस कार्य के लिए लिपि के रूप में देवनागरी का सामर्थ्य अन्य लिपियों की तुलना में बेहतर सिद्ध हो सकता है । यह देवनागरी लिपि का सामर्थ्य ही है कि हिंदी के स्वरूप, क्षेत्र एवं प्रकृति में निरंतर सार्थक बदलाव आ रहा है और इसके प्रसार में वृद्धि देखने को मिल रही है । देवनागरी लिपि के बल पर ही हिंदी न सिर्फ भारतीय मंडल अपितु समूचे भूमंडल की एक प्रमुख भाषा के रूप में उभरी है। यह हकीकत है कि नब्बे के दशक में विश्व, बाजार व्यवस्था के तहत बहुप्रचारित उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के प्रभावों से भारत अछूता नहीं रह सकता था। देर-सवेर उसे भी वैश्विक मंडी में खड़ा होना ही था। जाहिर है, इस वैश्वीकरण ने जहाँ एक तरफ मुक्त बाजार की दलीलें पेश की, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में एक नई उपभोक्ता संस्कृति को जन्म भी दिया है, जिससे जनजीवन से जुड़ी वस्तुएं ही नहीं, भाषा, विचार, संस्कृति, कला सभी को एक 'कॉमोडिटी' के तौर पर देखने की प्रवृत्ति विकसित हुई। भाषा के रूप में निश्चय ही इस नव उपनिवेशवादी व्यवस्था ने राष्ट्रों की प्रतिनिधि भाषाओं को चुना है। बहुभाषिक समाज व्यवस्था वाले भारत में हिंदी चूँकि संपर्क और व्यवहार की प्रधान भाषा थी, इसलिए हिंदी को वैश्विक बाजार ने अपनाया तथा इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व में

हिंदी भाषा की इस स्वीकार्यता में सबसे बड़ा हिस्सा देवनागरी लिपि की सुबोधता, सरलता एवं वैज्ञानिकता का है।

इसकी प्रसिद्धि तब और बढ़ी जब भारत के धार्मिक विद्वान स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर, 1893 को शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मलेन को हिंदी में संबोधित किया। उनके पहले ही वाक्य, "अमेरिका के बहनों एवं भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है", से धर्म संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। इसी प्रकार भारत के पूर्व प्रधानमत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा में पहली बार हिंदी में संबोधन किया था, जिससे हिंदी की प्रतिष्ठा में चार चाँद लग गए थे। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में संबोधन किया है जिससे हिंदी की गरिमा में वृद्धि हुई। उन्होंने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की कार्यालयीन भाषा बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की जो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाई।

अंतत: यह कहा जा सकता है कि एक प्रमुख वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी तथा लिपि के रूप में देवनागरी लिपि का भविष्य भारत के भविष्य के साथ उज्ज्वल एवं दैदीप्यमान है ।

सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

संदर्भ सूची :

भारत की भाषा और समस्या- रामविलास शर्मा

हिंदी का विश्व संदर्भ- करुणा शंकर उपाध्याय

हिंदी कल आज और कल- प्रभाकर क्षोत्रिय

हिंदी भाषा का विकास एवं नागरी लिपि- डॉ. राजकिशोर सिंह

> कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में,
> देखते सब हैं इन्हें अपनी उमर, अपने समय में,
> और तू कर यत्न भी तो, मिल नहीं सकती सफलता,
> ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में,
> किन्तु जग के पंथ पर यदि, स्वप्न दो तो सत्य दो सौ,
> स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले।
> पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले।
> -हरिवंशराय बच्चन

विश्व पटल पर हिन्दी की उपस्थिति

भाषा संप्रेषण का सबसे सशक्त और सार्थक माध्यम है। प्रभावी संप्रेषण हेतु भाषा का समीचीन उपयोग अनिवार्य होता है और वृहत्त सामाजिकता को भाषा की यही संप्रेषणीयता मजबूती भी प्रदान करती है। किसी भी भाषा का महत्व इस तथ्य को रेखांकित करता है कि वह जनमानस में किस रूप से उपयोगी या व्यवहृत है एवं कार्य क्षेत्र में उपयोगिता के आयाम का स्तर कैसा है? वस्तुतः भाषा की प्रतिष्ठा केवल उस भाषा को बोलने वालों की संख्या पर आधारित नहीं होती है, वरन अनेक प्रतिमानों पर निर्भर करती है। इनमें मुख्य हैः

1. उपयोगकर्ताओं की संख्या एवं उनका क्षेत्रीय विस्तार
2. उपलब्ध साहित्य की व्यापकता एवं उसका स्तर
3. अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों, सेवाओं एवं वाणिज्य में उपयोग
4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रचलन
5. भाषा से सम्बंधित देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं सामरिक महत्व

अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों, सेवाओं एवं वाणिज्य में उस भाषा के उपयोग की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भाषा को प्रतिष्ठित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, वर्धा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके प्रयत्न से 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन के दौरान वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की आधारशिला रखी गई। हिंदी की विश्व में पहचान बनाने एवं हिंदी लेखकों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क एवं सम्बन्ध बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया और विश्व हिंदी सम्मेलन ने हिंदी के बहुमुखी विकास की चतुर्दिक संभावनाओं के द्वार खोलने का मार्ग प्रशस्त किया। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन के संदर्भ में कहा- यह सम्मेलन अपार भविष्य का संदेश लेकर आया है.....सारे संसार के मनीषी यहां एकत्र हुए हैं और हिंदी के प्रति अपने प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिया हुआ सम्बोधन हिंदी के लक्ष्य को रेखांकित करता है, साहित्य, संस्कृति और सद्भाव की भाषा हिंदी को, व्यापार-उद्योग, तथा प्रौद्योगिकी की भाषा बनाना चाहिये, जिससे हिंदी किसी अनुशंसा से नहीं, अपितु अपनी शक्ति से संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन सके। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन, जो 14 सितम्बर, 1999 को लंदन में आयोजित हुआ, उसमें लिये गये संकल्प हिंदी के भविष्य के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ये हैं:

1. हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकास
2. अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना
3. विदेशों हेतु हिंदी का मानक पाठ्यक्रम तैयार करना
4. विश्व हिंदी पत्रिका का प्रकाशन
5. हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाना
6. मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना
7. हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाना
8. भारत में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण
9. विदेशी हिंदी लेखन के प्रकाशन की व्यवस्था एवं उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिलाना

आठवें सम्मेलन विश्व मंच पर हिंदी एवं नौवें सम्मेलन भाषा की अस्मिता और हिंदी के वैश्विक संदर्भ के विषय हिंदी की व्यापकता व उपयोगिता का संवर्धन एवं हिंदी के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती रूचि को स्पष्ट करते हैं। भारत अब विकास के मार्ग पर तीव्र गति से अग्रसर है और प्रयास यह है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी आसीन हो सके।

फ़ीजी में 37% हिंदुस्तानी हैं, जो किसी न किसी प्रकार की हिंदी बोलते हैं वहां साउथ पैसिफ़िक विश्वविद्यालय में हिंदी विषय भी पढ़ाया जाता है वहां फ़िजिअन एवं इंग्लिश के अतिरिक्त हिन्दुस्तानी भी राजभाषा है। फ़ीजी में हुए फ़ौजी विद्रोह के समय लगभग 30,000 हिन्दुस्तानी मूल के फ़िजियन्स, न्यूज़ीलैंड, आस्ट्रेलिया, टोंगा और कनाडा जाकर बस गये थे और वे अब वहां पर हिंदी की अलख जगा रहे हैं। मॉरिशस में 68% प्रतिशत इंडो-मॉरिशियन्स हैं, जो फ्रेन्च अथवा इंग्लिश के साथ हिन्दुस्तानी भाषा बोलते हैं। वहां विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना के पश्चात हिंदी के प्रसार का कार्य प्रगति पर है। अमीरात एवं दक्षिण अफ्रीका में हिंदी बोलने वालों की अच्छी संख्या है और यह बढ़ रही है। विकसित देशों में प्रारम्भ में जो भारतीय गए, वे अधिकांश वहीं के रंग में रंग गए, परंतु भारत की आर्थिक एवं सामरिक उन्नति तथा अनेक संस्थाओं के प्रयत्न से उनकी द्वितीय एवं तृतीय पीढ़ियों में भारत एवं हिंदी के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हुई है। इस कार्य में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, विश्व हिंदी समिति, विश्व हिंदी सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, गीतांजलि बहुभाषीय समुदाय, (बर्मिंघम), विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं का योगदान अनुकरणीय है।

आज विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिन्दी का पठन-पाठन होता है। हिंदी के गानों एवं चलचित्रों की मांग बढ़ रही है तथा विदेशों में हिंदी में चलचित्र बनाये जा रहे हैं। हिंदी की पत्रिकाएं विश्वा (अमेरिका), अनहद कृति(अमेरिका-भारत), हिंदी चेतना (कनाडा), पुरवाई (यू.के.), अभिव्यक्ति-अनुभूति (शारजाह), साहित्यकुन्ज (कनाडा) आदि जगप्रसिद्ध हो रहीं हैं। नार्वे, जापान, रूस, फ्रांस, हालैंड आदि में अनेक देशी-विदेशी प्रोफ़ेसर्स हिंदी की अलख जगाये हुए हैं। श्री अमृत मेहता 'सार-संसार' नामक ई-पत्रिका द्वारा विश्व की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का हिन्दी में अनुवाद प्रकाशित कर हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं।
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिंदी के महत्व को हम निष्कर्षतः निम्नलिखित बिन्दुओं में रेखांकित कर सकते हैं:-

1. कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी का व्यावहारिक उपयोग।
2. सामान्य जनता की संप्रेषणीयता का सबसे सशक्त माध्यम।
3. देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की व्यावहारिकता।
4. शैक्षणिक जगत में पठन-पाठन की समस्त सामग्री हिंदी में उपलब्ध।
5. रोजगार के माध्यम के रूप में हिंदी स्वीकृत व व्यवहृत एवं रोजगार की प्राप्ति में सहायक।
6. विज्ञान व तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी का विस्तृत,व्यापक व अद्यतन उपयोग।
7. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का भरपूर उपयोग,वैश्विक स्तर पर हिंदी स्वीकृत, यूरोप व अमेरिका के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन-पाठन, सामरिक संबंधों में हिंदी स्वीकार्य।
8. हिंदी की अपनी जीवनी शक्ति असीम, विभिन्न भाषाओं से शब्द ग्रहण कर उपयोग करने की अद्भुत क्षमता व वैश्विक बाजार के रूप में हिंदी मान्य।
9. हिंदी का विकास नैरंतर्य व अविराम गति से हो रहा है और वैश्विक पायदान पर इसका महत्व स्वीकार्य हो रहा है।
10. सोशल मीडिया में व्यापक तरीके से उपयोग की जाने वाली भाषा।
11. वास्तव में, हिंदी सिर्फ भाषा नहीं एक इमोशन है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को अधिकारिक भाषा (Official Language) का दर्जा देने की कोशिश जारी है। अब संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में पेज (Page) शुरू किया है। हिंदी में वेबसाइट और ऐप भी लॉन्च किया है।
12. हिंदी को उसकी समावेशी भारतीय संस्कृति तथा विश्व के ज्ञान भंडार से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

हिंदी को उत्पादक प्रोफेशन से जोड़ने की जरूरत है तभी इसमें सिर्फ राजभाषा अधिकारी या स्कूल-कॉलेज के शिक्षक नहीं होंगे, अपितु प्रबंधक होंगे,साफ्टवेयर इंजीनियर होंगे,वकील होंगे,समाज के वैज्ञानिक और इतिहासकार भी होंगे। यही हिंदी की जीवतंता और उत्थानशील प्रवृत्ति का द्योतक होगा। हिंदी की आत्मपहचान को एक विस्तृत ज़मीन पर देखना होगा, अन्यथा, सबकुछ आत्ममुग्धता की रंगीन दलदल में धँसता जाएगा। इन्फोसिस के संस्थापक और एक बड़े औद्योगिक व्यक्तित्व नारायण मूर्ति ने हाल में (जुलाई 2021) कहा

है, 'रोजगार की दुनिया में जो नौजवान अंग्रेजी में निपुण नहीं हैं वे पिछड़ जाएंगे। 2025 में 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था निर्मित करने के लिए अंग्रेजी पर फोकस देना जरूरी है। सच्चाई यह है कि अंग्रेजी जानना अच्छी चीज है, पर इसकी कठोर अनिवार्यता एक तरह की गुलामी का चिन्ह है। हिंदी में एक उन्नत भविष्य-दृष्टि अपनाकर ज्ञान और विज्ञान की परंपराओं तथा तकनीकी नवोन्मेषों से जोड़ने की जरूरत है।

दुनिया की हर बड़ी मीडिया कंपनी, बैंकिंग प्रतिष्ठान, सॉफ्टवेर कंपनियां तथा सोशल नेटवर्किंग साईट्स हिंदी को लेकर नित नए प्रयोगों में जुटी हैं। हिंदी समाचारों और कार्यक्रमों के चैनलों की बाढ़ सी आ गई है। 'जर्मन के लोग हिंदी को एशियाई आबादी के एक बड़े वर्ग से संपर्क साधने का सबसे सशक्त माध्यम मानने लगे हैं। जर्मनी के हाइडेलबर्ग, लोअर सेक्सोनी के लाइपजिंग, बर्लिन के हंबोलडिट और बॉन विश्वविद्यालय के अलावा दुनिया की कई शिक्षण संस्थाओं में अब हिंदी भाषा पाठ्यक्रम में शामिल कर ली गई हैं। छात्र समुदाय इस भाषा में रोजगार की व्यापक संभावनाएं भी तलाशने लगा है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर के 150 विश्वविद्यालयों और कई छोटी-बड़ी शिक्षण संस्थाओं में रिसर्च स्तर तक अध्ययन-अध्यापन की पूरी व्यवस्था की गई है। यूरोप से ही तकरीबन दो दर्जन पत्र-पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित होती हैं।

सच्चाई यह है कि हिंदी आज सिर्फ साहित्य की भाषा नहीं, बल्कि बाजार की भी भाषा है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने विज्ञापनों को जन्म दिया, जिससे न केवल हिंदी का अनुप्रयोग बढ़ा, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिले।
तथ्य है कि आज के वैश्विक फलक पर हिंदी एक संपर्क भाषा, प्रचार भाषा और राजभाषा के साथ-साथ वैश्विक भाषा के रूप में स्वयं को स्थापित करती जा रही है। कंप्यूटर, मोबाइल और आई-पैड पर हिंदी की पहुंच ने यह बात सिद्ध कर दी है कि इंटरनेट की भाषा हिंदी हो चुकी है।

मॉरीशस में हिंदी का वर्चस्व है तथा उनका संकल्प हिंदी को विश्व भाषा बनाने का है। सन 1996 में वहां हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई और उसकी दो पत्रिकाएं बसंत और रिमझिम प्रकाशित हो रही हैं। अब तक हुए ग्यारह विश्व हिंदी सम्मेलनों में से तीन मॉरीशस में आयोजित हुए हैं। हिंदी के प्रयोग को लेकर इसे छोटा भारत भी कहा जाता है। सूरीनाम में भी हिंदी का व्यापक प्रचार-प्रसार है। आज हिंदी जो वैश्विक आकार ग्रहण कर रही है उसमें रोजी-रोटी की तलाश में अपना वतन छोड़ कर गए गिरमिटिया मजूदरों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। गिरमिटिया मजदूर अपने साथ अपनी भाषा और संस्कृति भी लेकर गए, जो आज हिंदी को वैश्विक स्तर पर फैला रहे हैं। मसलन, एशिया के अधिकतर देशों चीन, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, थाइलैंड, मलेशिया, जावा आदि में रामलीला के माध्यम से राम के चरित्र पर आधारित कथाओं का मंचन किया जाता है। वहां के स्कूली पाठ्यक्रम में रामलीला को शामिल किया गया है। हिंदी की रामकथाएं भारतीय सभ्यता और संस्कृति की संवाहक बन चुकी हैं। रेडियो सीलोन और श्रीलंकाई सिनेमाघरों में चल रही हिंदी फिल्मों के माध्यम से हिंदी की उपस्थिति समझी जा सकती है।

भाषा हृदय की अभिव्यक्ति के साथ ही संस्कृति और सभ्यता की वाहक भी है। हिंदी अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझते हुए आज राजभाषा ही नहीं, बल्कि विश्वभाषा बनने के निकट है। इसमें अन्य भाषाओं को आत्मसात करने की क्षमता है। यह हिंदी की सबसे बड़ी पहचान है। हिंदी में अनेक भारतीय भाषाओं में लिखे गए विद्वानों के ग्रंथों का अनुवाद कर इसे जन सामान्य के पठन-पाठन के लिए सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व में हिंदी की उपस्थिति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

दीपक कुमार साव
वरिष्ठ प्रबंधक(राजभाषा)
अंचल कार्यालय, देवधर

हिन्दी का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सफर

महात्मा गांधीजी ने 1917 के गुजरात शिक्षा सम्मेलन के एक संबोधन में राष्ट्रभाषा की जरूरत पर बल दिया था और दृढ़ता से कहा था कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसे 'राष्ट्रीय भाषा' के रूप में अपनाया जा सकता, क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली एकमात्र भाषा है । गांधी जी जानते थे कि भारत बिना एक भाषा के सहारे कभी स्वराज हासिल नहीं कर सकता है। वह दक्षिण भारत में हिंदी को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए वह हिंदी मिशनरियों को वहां भेजते थे । उन्होंने 1923 में दक्षिण भारत हिंदी महासभा की स्थापना भी की थी ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब संविधान बनाया गया तब संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में हिन्दी भाषा के विकास एवं उसके प्रचार प्रसार के लिए विशेष प्रावधान डाले।

हम प्रत्येक वर्ष14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ताकि हमारी जड़ें भाषा से सदैव ही जुड़ी रहें । हमारे देश में हिंदी दिवस केवल कविता-पाठ, वाद-विवाद, निबंध लेखन और विचारों के आदान -प्रदान की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ साथ निजी संस्थानों के कार्यालयों द्वारा भी मनाया जाता है ।

आज का समय भूमंडलीकरण का है, जिसका असली चेहरा बाजार के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तेजी से फैलती बाजार-संस्कृति ने हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, खानपान, पहनावा, भाषा, संस्कृति आदि को प्रभावित किया है। बच्चों के सपनों में बाजार का प्रवेश हो चुका है।

किसी भी समाज की पहचान सुरक्षित रखने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। आज दुनिया में लगभग साठ हजार भाषाएं किसी न किसी रूप में बोली और समझी जाती हैं, लेकिन आने वाले समय में नब्बे प्रतिशत से अधिक का अस्तित्व खतरे में है। भाषाओं के इस विलुप्तीकरण के दौर में हिंदी अपने को न केवल बचाने में सफल हो रही है, बल्कि उसका उपयोग-अनुप्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह भाषा लगभग डेढ़ हजार वर्ष पुरानी है और इसमें डेढ़ लाख शब्दावली समाहित है। संप्रति हिंदी को अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यह अनेक विदेशी भाषाओं को न केवल स्वीकार करती है, बल्कि विश्व की समस्त भाषाओं को आत्मसात करने की क्षमता भी रखती है। हिंदी के विकास के लिए विश्व की पैंतीस सौ विदेशी कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है। यह संख्या भी कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरीशस में बनना और हिंदी को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए किए जाने वाले सतत प्रयास इसे संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में स्थान दिलाने का प्रयास है। बाजार के कारण भी हिंदी का प्रचार-प्रसार व्यापक हो रहा है।

विश्व के लगभग एक सौ चालीस देशों के लगभग पांच सौ केंद्रों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है, जहां न जाने कितने विद्वान अपना योगदान दे रहे हैं। कंप्यूटर, मोबाइल और आइ-पैड पर हिंदी की पहुंच ने यह बात सिद्ध कर दी है कि आने वाले समय में इंटरनेट की भाषा अंग्रेजी न होकर हिंदी होगी। हिंदी आज सिर्फ साहित्य की भाषा नहीं, बल्कि बाजार की भी भाषा है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने विज्ञापनों को जन्म दिया, जिससे न केवल हिंदी का अनुप्रयोग बढ़ा, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिले है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि भारत उनके उत्पाद का बड़ा बाजार है और यहां के अधिकतर उपभोक्ता हिंदीभाषी हैं। इसलिए उन्हें अपना उत्पाद बेचने के लिए उसका प्रचार-प्रसार हिंदी में करना पड़ेगा। बाजार की भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति भले मिल रही है, लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि बाजार हमेशा लाभ पर केंद्रित होता है और लाभ केंद्रित व्यवस्था दीर्घजीवी नहीं होती। एक समय के बाद उसका पतन निश्चित है, इसलिए हमें हिंदी को ज्ञान और संचार की भाषा के रूप में विकसित करना होगा। किसी देश के विकास के लिए आवश्यक है कि वहां ज्ञान-विज्ञान की भाषा जनमानस द्वारा ग्राह्य हो और वह उसे आसानी से समझ सके। इसलिए हिंदी के उपभोक्तावादी रूप के विकास की चुनौतियों को समझना होगा और इसे ज्ञान की भाषा के रूप में विकसित करना होगा, तभी इसका भविष्य सुरक्षित हो सकता है।

सिंधु पी एस
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय, तिरूवनंतपुरम

उन्नत और प्रखर है हिन्दी का सफर

भारत का नमस्ते पूरी दुनिया में मशहूर है। नमः+ते से बना यह शब्द एकता का अनोखा उदाहरण है । हिन्दी दबाव की नहीं सद्भाव की भाषा है और इसका विकास सरल, सहज और सुगमता की राह पकड़ कर ही संभव हो सकता है। आज भारत से इतर कई बड़े-बड़े देशों में हिन्दी को जानने-समझने वालों की संख्या बढ़ी है। भारत में व्यापार की संभावनाएं तलाशते हुए जाने कितनी कंपनियाँ हिन्दी में प्रचार-प्रसार का हर संभव प्रयास करना चाहती हैं। भारत को देखें तो इसके अधिकाधिक भूक्षेत्र पर हिन्दी का व्यापक विस्तार है। यहाँ यह भी सोचना गलत नहीं होगा कि देश में यदि एक राष्ट्रगान एवं एक राष्ट्रगीत हो सकता है तो देश को एक साथ पिरोने वाली सूत्रधार भाषा को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं ?

भाषा संप्रेषण का एक अप्रतिम साधन है। सामाजिक व्यवहार के विभिन्न रूपों और प्रकारों में भाषायी व्यवहार का एक प्रमुख स्थान है। अपने विविध व्यवहार - क्षेत्रों में भाषा प्रयोग की दृष्टि से कुछ भाषायी समुदाय एक भाषी होते हैं और कुछ समुदाय बहुभाषी। भारत एक विविध संस्कृतिसंपन्न एवं बहुभाषी देश है। अतः भाषाओं की विविधता हमारी संस्कृति की महती विशिष्टता है।

स्वाधीनता के उपरांत शिक्षा,प्रशासन तथा जनसंपर्क के विविध माध्यमों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाए जाने का निश्चय किया गया था, इसलिए इन भाषाओं का सुनियोजित विकास करना भी जरूरी था। सर्वाधिक भारतीयों की भाषा होने के नाते हिंदी को केंद्रीय सरकार की राजभाषा का स्थान भी मिला। धीरे-धीरे हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी पहचान मिलने लगी ।

हिंदी के महत्त्व को गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह खुशी की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में, हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज पूरी दुनिया में लगभग 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा पढ़ाई जा रही है। ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र ने भी हिन्दी में वेबसाइट बनाई है और हिन्दी में रेडियो प्रसारण भी होता है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षण किया जाता है। अमेज़न, फेसबुक, गूगल जैसी विदेशी कंपनियों ने भी हिन्दी के महत्व को स्वीकार किया है। चीन सरकार ने भी हिन्दी में hindi.cri.in/i वेबसाइट बनाई है और हिन्दी में रेडियो प्रसारण भी शुरू किया है। आज की तारीख में हिन्दी के यू-ट्यूबर विश्व में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं।

सुप्रसिद्ध हिन्दी प्रेमी फादर कामिल बुल्के का तत्कालीन कथन वर्तमान समय में हमारी प्रेरणा बन सकता है। उन्होंने कहा था -हिन्दी भाषा इतनी समृद्ध, सक्षम और सरल है कि हमारा सारा कामकाज सुचारू रूप से हिन्दी में किया जा सकता है। यह खेद की बात है कि हिन्दी भाषियों में भाषा के प्रति स्वाभिमान नहीं जगा, अन्यथा बहुत पहले हिन्दी देशव्यापी स्तर पर प्रचलित हो गई होती। अचानक ही हिन्दी में कामकाज होना शुरू होने पर कुछ कठिनाइयां होना स्वाभाविक है। क्रमशः इनका निराकरण भी

सम्भव हो सकता है। जब मैं बेल्जियम से भारत आया था तो भारतीय जनता में अपनी भाषा के प्रति घोर उपेक्षा पाई। यह देख कर मैंने हिन्दी पढ़ने का संकल्प लिया। मैंने निश्चय किया कि हिन्दी की सेवा करूंगा । भारत में संस्कृत माँ है, हिन्दी गृहिणी और अंग्रेजी नौकरानी। इस तथ्य को कोई स्वाभिमानी भारतीय कैसे भुला सकता है ?

जब हम विश्व पटल पर खड़े होकर देखते हैं तो पाते हैं कि विगत कुछ वर्षों से हिन्दी का वैश्विक मंच विशाल और समृद्ध होता जा रहा है। 'गूगल ट्रांस्लेट' ने हिन्दी ओसीआर की सुविधा से हिन्दी में लिखित पाठ का फोटो खींच कर अनुवाद प्रस्तुत कर दिया है। अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ़्ट, ओरेकल, एसएपी जैसी कई कंपनियाँ हिन्दी को बढ़ावा देकर अपने व्यापार में विस्तार कर रही हैं। यहाँ तक की अमेज़न भारत ने हिन्दी वॉइस ख़रीदारी लाँच करने का निर्णय लिया है। समाचारों, व्यवहारों, व्यापारों, प्रचारों, सद्भाव, प्रेरणा, प्रयास की सीढ़ी पकड़ कर हिन्दी स्वयं आगे बढ़ रही है । हिन्दी के विकास के लिए केवल सद्भाव जरूरी है और हमें भारतीय होने के नाते अपनी मातृभाषा के साथ-साथ हिन्दी जरूर सीखनी चाहिए।

तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार-
- सुमित्रानंदन पंत

बलबीर सिंह
प्रबन्धक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय

अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिये ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता है। - महात्मा गाँधी।

...

संप्रति जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें से हिंदी भाषा प्रायः सर्वत्र व्यवहृत होती है। - केशवचंद्र सेन।

...

हिंदी भाषा उस समुद्र जलराशि की तरह है जिसमें अनेक नदियां मिली हों। - वासुदेवशरण अग्रवाल।

...

है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी।
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। - मैथिलीशरण गुप्त।

राजभाषा के रूप में हिन्दी का विकास

आँख खुलते ही पक्षियों के कलरव, भंवरों के गुंजन, गाय के रंभाने से लेकर रात्रि विश्राम तक हम वाहनों की रें-पें-चें सहित अनेक सार्थक-अनर्थक ध्वनियाँ सुनते हैं। इन्हीं ध्वनियों के मेल से बनते हैं शब्द और शब्दों से भाषा। भाषा, मनुष्य के लिए दैवीय वरदान है। यह वरदान मनुष्य को देवताओं के समतुल्य बना देता है। लेखन, गायन आदि ललित कलाएं इसी वरदान के प्रखर एवं उन्नत स्वरूप हैं। वाणी जब बुद्धि के साथ मिल जाती है, तब वह पूजनीय हो जाती है :

वर्णानां अर्थसंघानां रसनां छंद सामपि ।
मंगलानां च कर्त्तारौ वंदे वाणी विनायकौ ।।

विभिन्न भू-भागों पर विभिन्न प्रकार की भाषाएँ एवं बोलियाँ प्रचलित हैं। सभी की अपनी-अपनी गरिमा, महिमा एवं विशेषताएँ हैं। न कोई किसी से कमतर है न श्रेष्ठ:

अति अगाध, अति औथरौ नदी कूप सर बाइ।
सो ताकौ सागरु जहां, जाकी प्यास बुझाइ।।

लेकिन, ज्यों-ज्यों मानव समाज विकसित हुआ, उसमें शासन, प्रशासन, अनुशासन की आवश्यकता भी अनुभूति हुई। इसके लिए राज-काज को सुचारु एवं सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए राजभाषा की आवश्यकता हुई। ज्यों-ज्यों राज बदले राजभाषा भी बदली। 12 वीं शताब्दी के पूर्व भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था। उनकी अपनी-अपनी राजभाषाएं रही होंगी। सन् 1192 ई० में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की । यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, जिसमें अनेक कालांतर में अनेक वंश आते रहे। इनकी दरबारी भाषा / राजभाषा फारसी थी। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, मुगलों की राजभाषा / आधिकारिक भाषा भी फारसी थी। फारसी के साथ समस्या यह थी कि यह आम जनता की समझ में नहीं आती थी और केवल दरबार तक सीमित थी। वहीं तत्कालीन भारतीय भाषाएं जन-सामान्य में तो प्रचलित थीं, किन्तु राज परिवारों को इनकी जानकारी या तो बिलकुल नहीं थी या अल्प थी। जिससे राज-काज चलाने में कठिनाई होती थी। राजदरबार में फ़ारसी के समानांतर एक नई भाषा, उर्दू शनै-शनै पनप रही थी। धीरे-धीरे यह राज-काज की ओर बढ़ी। इसकी लिपि फारसी थी और बोल अरबी-फारसी मिश्रित आम जनता के थे। आज भी तहसील, कानून, अदालत, हाकिम, रसद, दीवान, कोतवाल, सज़ा, बरी, जुल्म, अदालत, अर्जी, जब्त, जामिन, तफ्तीश, तलब, मुक़दमा, वसूली आदि ऐसे अनेक शब्द हैं, जो आज भी कार्यालयीन भाषा का अभिन्न अंग हैं।

अंग्रेजों के भारत में साम्राज्य विस्तार से भी इसी प्रकार की भाषा समस्या सामने आई। हमारी भाषा वे नहीं समझते थे और उनकी हम, राज-काज कठिन था । अंग्रेजों के साथ अनुकूलता यह थी कि उस समय वे विजय रथ पर सवार थे; शिक्षा, साहित्य, संचार, शस्त्र, अनुसंधान, खोज, परिवहन, व्यापार सभी में उन्हें निपुणता प्राप्त थी। विश्व विजय के लिए वे नितांत उत्साही थे। रानी एलिज़ाबेथ से रानी विक्टोरिया तक ब्रिटेन ने जितनी प्रगति की उतनी तो वहाँ कई युगों में भी नहीं हुई थी। अंग्रेजों के पास मैकाले और चार्ल्स वुड जैसे विद्वान थे जिन्होंने भारतीय शिक्षा की दिशा को ही मोड़ दिया। भारत के लोगों में पाश्चात्य के प्रति लगाव, आकर्षण एवं आदर का भाव और अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, बोली, भाषा, साहित्य, परंपराओं, पहनावे के प्रति हीन भाव भर दिया। जिस प्रकार एक युग में फ़ारसी के जानकार ही पढ़े-लिखे माने जाते थे (हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या), कालांतर में वही स्थिति अँग्रेजी भाषा के जानकारों की हो गई।

स्वराज की लड़ाई में हिन्दी की प्रमुख भूमिका रही । भारत की जनता को जगाने के लिए भारत की बोली में बोलना आवश्यक था। आजादी के अगुआ नेताओं, धर्म-प्रचारकों, समाज सुधारकों ने अपनी बात जनता तक पहुँचाने के लिए, जनता की

भाषा चुनी। स्वराज मिलने के बाद यह अनिवार्य था कि जनता का कार्य जनता की भाषा में हो। राज-काज के लिए किसी एक भारतीय भाषा का चुनाव होना था, जो भारत की चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हो। सम्पूर्ण भारत को जोड़ने की शक्ति और सामर्थ्य यदि किसी भाषा में था तो वह हिन्दी ही थी। 14 सितंबर, सन् 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हिन्दी ने यह दर्ज़ा कृपा के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में प्राप्त किया है। हिन्दी को राजभाषा बनाने के साथ-साथ संविधान में उसके स्वरूप, लिपि अंक व्यवस्था को निर्धारित करते हुए, हिन्दी के विकास, प्रचार एवं कार्यान्वयन हेतु प्रावधान किए गए हैं:

- अनुच्छेद 120 के अनुसार यह संसद में प्रयोग की भाषा है।
- अनुच्छेद 210 में राज्य की राजभाषाओं के साथ विधान-मण्डल की भाषा है।
- अनुच्छेद 343 के अनुसार यह संघ की राजभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी और अंकों का रूप भारतीय अंकों
- अंतर्राष्ट्रीय रूप है।
- अनुच्छेद 344 में इसके प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन हेतु आयोग एवं समिति के संबंध में निदेश दिए गए हैं।
- संविधान का अनुच्छेद-345 किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य एक या अधिक भाषाओं को कार्यालयों में अपनाने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 346 राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा के विषय में प्रबंध करता है। अनुच्छेद के अनुसार, उक्त कार्य के लिये अधिकृत भाषा का उपयोग किया जाएगा। हालाँकि यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हैं कि उनके मध्य संचार की भाषा हिंदी होगी, तो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 347: यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी इच्छा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है।
- अनुच्छेद 348 में न्यायालय की भाषा के निदेश निर्धारित हैं।
- अनुच्छेद 349 : भाषा से संबंधित नियम बनाने की प्रक्रिया ।
- अनुच्छेद 350 इसे अन्य भाषाओं के साथ व्यथा निवारण हेतु अभ्यावेदन की भाषा बनाता है।
- अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ाए।

इसके अलावा समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेश एवं राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, बैंकों एवं बीमा कंपनियों के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा कार्यान्वयन में मार्गदर्शक बनकर सहायता करते हैं। लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में पूर्णतः स्थापित करने के लिए यह अनिवार्य है कि हर स्तर के व्यक्ति द्वारा हर स्तर पर यह व्यवहार में लाई जाए। यह हम सभी का उत्तरदायित्व है कि जिस प्रकार हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करते हैं और उनकी गरिमा को समझते हैं। उसी प्रकार हम राजभाषा के महत्व एवं उसकी आवश्यकता को समझें। भारत में हिंदी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, बस उसे व्यवहार में लाने की आवश्यकता है, हिंदी में कार्य करने में गर्व करने की आवश्यकता है।

कुलवेन्द्र सिंह
प्रबंधक (राजभाषा)
कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

हिन्दी माह

2021-2022

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभा को संबोधित करते हुए

कार्यपालक निदेशक श्री वी. वी शेणॉय सभा को संबोधित करते हुए

कार्यपालक निदेशक श्री इमरान अमीन सिद्दीकी सभा को संबोधित करते हुए

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा संवाद सरिता पुस्तिका का विमोचन

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महाप्रबंधकगण

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी व कार्यपालक निदेशकों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण

आत्म संयम

देखना, मैं इस राज्य स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में इस वर्ष प्रथम आऊंगा, चैतन्य की इस बात को सुनकर अवध ने चिहुंक कर कहा, पहले मुझे तो हराकर दिखाओ। इस बात पर दोनों की दौड़ शुरू हो गई। निश्चित दूरी के बाद दौड़ समाप्त हुई और चैतन्य ने अवध को कुछ क्षणिक अंतराल से हरा दिया। अवध ने उसे जीत की बधाई दी। चैतन्य और अवध बचपन के दोस्त थे। साथ साथ खेले, साथ साथ विद्यालय गए।

चैतन्य एक वैद्य का पुत्र था एवं अवध एक किसान का बेटा था। जब चैतन्य के पिताजी उसे जड़ी-बूटियां लाने के लिए गांव के पास की घाटी में भेजते तो दोनों दोस्त साथ जाते और जड़ी बूटियां ढूंढते थे। दोनों को दौड़ का बहुत शौक था और दोनों बहुत अच्छे धावक भी थे। दोनों में कभी चैतन्य प्रथम आता तो कभी अवध चैतन्य को हरा देता। दसवीं की परीक्षा की समाप्ति के बाद दोनों के पास काफी खाली समय होता और दोनों इस समय को अपनी दौड़ के अभ्यास में ही लगाते।

इस बीच उनके राज्य में राज्य स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता की घोषणा हुई और चूंकि वह दोनों अच्छे धावक थे और यह बात उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी पता थी इसलिए उन्होंने दोनों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। दोनों मित्रों के अभिभावकों को भी प्राचार्य ने ही इस बात के लिए मनाया था कि आयोजन में उनके बच्चों को भाग लेने की अनुमति दें। इस समय दोनों अपनी दौड़ के लिए पूरा समय देते और अभ्यास करते। धीरे-धीरे चैतन्य ने अपनी दौड़ की क्षमता को काफी सुधार लिया और वह अक्सर दौड़ में अवध को हरा देता। अवध ऊपरी मन से उसे इसके लिए बधाई देता और दोनों अपने घर चले जाते। अब अवध को लगने लगा कि चैतन्य के रहते वह इस प्रतियोगिता को जीत नहीं पाएगा वह सोचने लगा कि अगर प्रतियोगिता के दिन चैतन्य बीमार पड़ जाए या किसी अन्य कारण से प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए तो उसकी जीत पक्की है। बाद में उसे अपनी सोच के लिए ग्लानि भी महसूस होती।

प्रतियोगिता में अब सिर्फ दो ही दिन बचे थे, चैतन्य के पिता ने उसे घाटी में कुछ जरूरी जड़ी-बूटियां लाने को कहा। हमेशा की तरह उसने अवध को साथ चलने को कहा। अवध अब उसके साथ नहीं जाना चाहता था, परंतु वह मना नहीं कर पाया और भारी मन से उसके साथ चल दिया। चैतन्य बहुत खुश था और वह प्रतियोगिता के बारे में लगातार बातें कर रहा था, जबकि अवध हताश हो चुका था और बुझे मन से सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। चैतन्य कुछ जड़ी-बूटियां तोड़ने के लिए घाटी में नीचे की ओर चला गया और अवध ऊपर एक पत्थर पर बैठकर कुछ सोचने लगा।

तभी उसने देखा कि एक पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे चैतन्य की तरफ आ रहा है। उसने उसे आवाज लगानी चाही, तभी उसकी आवाज रुक गई और उसके मन में आया कि चैतन्य के ना होने पर वह यह प्रतियोगिता जीत सकता है। उसके कानों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी जो उसे जीत के बाद मिलती। अवध के पास यह सोचने का वक्त था परंतु चैतन्य के पास उस बड़े से पत्थर से बचने का वक्त नहीं था। अचानक अवध की तंद्रा टूटी, उसने देखा कि चैतन्य उसके सामने लहूलुहान पड़ा है। उसने जल्दी चैतन्य को उठाकर किसी तरह उसके घर पहुंचाया। डाक्टर बुलाए गए, क्योंकि चैतन्य के पैर में काफी चोट लगी थी । डाक्टर ने चैतन्य का इलाज शुरू कर दिया। पट्टी होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अब चैतन्य कभी दौड़ नहीं पाएगा।

अवध चैतन्य के पास आया। चैतन्य की आंखों में आंसू भरे थे। उसे अपने दर्द से ज्यादा इस बात का दुख था कि वह कभी किसी भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा।

अगले दिन किसी विशेष क्लास हेतु सभी छात्रों को विद्यालय जाना था। अवध भारी मन से विद्यालय के लिए निकल पड़ा। इसे धुन में रास्ते में पड़े एक पत्थर से उसका पैर टकराया और उसका पैर थोड़ा छिल गया और खून बहने लगा।

फिर भी वह विद्यालय पहुंचा, आज रामविलास सर आत्म संयम का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें हम अपना आत्म-संयम खोते हैं और ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिसका अफसोस हमें अपनी पूरी जिंदगी भर रहता है। अगर हम उस वक्त अपने ऊपर संयम रखकर, सही और गलत का फैसला कर कदम उठाएं तो, हमें कभी अपनी नजरों में गिरना नहीं पड़ेगा।

यह सुनकर अवध की आंखों से आंसू बहने लगे, कक्षा में सभी लोगों को लगा कि वह अपने पैर पर लगी चोट की वजह से रो रहा है परंतु उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे क्योंकि उसकी वजह से उसके सबसे अच्छे दोस्त की दौड़ अधूरी रह गई थी।

सौरभ कुमार
मुख्य प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, दक्षिण दिल्ली

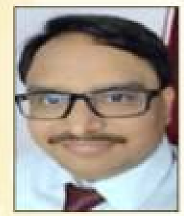

"प्रेम" जीवन का आधार

प्रेम अगर जग में जीने का आधार न होता
तो धरती पर कहीं, कभी व्यवहार शब्द का व्यवहार न होता
होती नहीं सुकोमल इतनी प्रकृति कभी
शायद तब सृष्टि का ये आकार न होता
क्या होता, तब माँ की निश्छल ममता का ?
नदियों की चंचलता का ?
वृक्षों की शीतलता का ?
यौवन की मादकता का ?
क्योंकि तब, इनका हम पर
कहीं, कोई उपकार न होता
दया, पुण्य तो परे रहे
तब कोई अल्लाह और ओंकार न होता
प्रेम नहीं होता तो पूजा और समर्पण कैसे होते ?

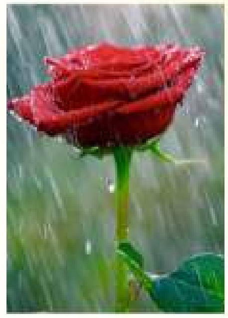

प्रेम नहीं होता तो सजदे, अर्पण, तर्पण कैसे होते ?
तब तो शायद धरती पर कोई अवतार न होता
मेरा मन मुझसे कहता है, हे प्रिय !
शायद तब तो तुमको सबसे सुन्दर
ये मानव-तन भी स्वीकार न होता।

अजय कुमार पाण्डेय
मुख्य प्रबंधक (वसूली)
क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय मेरठ

शिक्षा और संस्कार

एक दिन मैं बस स्टैन्ड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। वहाँ पर पाँच-छह लड़के जिनकी उम्र लगभग चौदह से अट्ठारह के बीच होगी, स्कूल से घर जाने के लिए खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। साथ ही साथ आपस मे हंसी मजाक भी कर रहे थे। तभी उधर से एक अंधा व्यक्ति कहीं से आया, उसे सड़क पार करनी थी। वह मदद के लिए इधर-उधर देख रहा था। तभी उन लड़कों मे से एक बोला, देख यार बड़ा मजा आएगा, यह अंधा कैसे सड़क पार करता है?

सभी लड़के तरह-तरह का कमेन्ट कर रहे थे और उस अंधे व्यक्ति का मजाक भी उड़ा रहे थे, मैं अभी सोच ही रहा था कि आगे जाकर उस व्यक्ति की मदद करूँ, तभी आगे का दृश्य देखकर मेरी आँखे खुली रह गई। एक कूड़ा उठानेवाला लड़का कंधे पर कूड़ा का थैला लिए पता नहीं किधर से आया और उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवायी और बिना कुछ इधर -उधर देखे अपने रास्ते चलता बना।

मैं खड़ा - खड़ा सोचने लगा कि हम लोग कहते हैं कि शिक्षा से संस्कार आते हैं, परंतु यह कैसे संस्कार, आखिर इस कूड़ा उठाने वाले लड़के में यह संस्कार कहाँ से आये, जो कि इन स्कूल जाने वाले और पढ़ने वाले बच्चों मे नहीं आ पाए। क्या हमारी शिक्षा पद्धति में इंसानियत नाम की चीज का कोई स्थान नहीं रह गया है? इसका तो अर्थ यह निकलता है कि हम बच्चों को नैतिकता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बना रहे हैं, जिनका समाज के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं है।

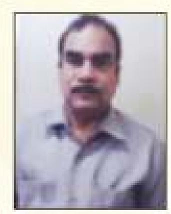

रामाश्रय प्रसाद बरनवाल
वरिष्ठ प्रबंधक
सीएपीसी शाखा, नई दिल्ली

हमने देखा आज सड़क पर

हमने देखा आज सड़क पर।
मुंशी प्रेमचन्द का होरिया।।
उपज परिस्थिति से सहमा सा।
चला जा रहा गाँव दुपहरिया।।

क्या बदला उनके जीवन में।
इसका कोई सार बता दो।।
दो जून की रोटी की उसको ।
इतनी न कोई सजा दो।।

पाँव में छाले होंठ हैं सूखे।
जाने कितना चलना होगा।।
राजनीति की इस भट्टी में ।
कब तक उसको जलना होगा।।

पटरी खेत सड़क पर चलता।
दिल में गाँव की आस जगाए।।
सूखी रोटी साथ बँधी है।
मन को वो कैसे समझाए।।

सूटकेस पर चलती देखी।
होरिया के बच्चे की नींद।।
कोई प्रशासन नहीं दिखा जो।
इस पर होता कुछ गम्भीर।।

होरिया की पत्नी भी देखी।
आठ माह का गर्भ सम्भाले।।
क्या मानवता आज मर गयी।
देख जरा ऊपरवाले।।

होरिया को भी खूब पता है।
गाँव में जाकर क्या पाएगा।।
मरा जो वो गर गाँव पहुँचकर।
कफन कोई तो ढक जाएगा।।

इसलिये चलता जाता है।
मुंशी प्रेमचन्द का होरिया।।
उपज परिस्थिति से सहमा सा।
नंगे पाँव वो गाँव दुपहरिया।।

श्री आशीष वाजपेयी
प्रबन्धक
सी.आर. पार्क शाखा, दिल्ली

प्रवासी मजदूर

गांव से अम्मा की बुलाहट
यहां भूखे बच्चों की बिलबिलाहट
और सह नहीं पाएंगे ।।
हमने बिल्डिंग बनाई पुल बनाए
तो अब जो ठान लें तो क्या
अपने गांव पहुँच ना पाएंगे ।।
ये मजदूर के पांव है बाबूजी
सड़क पे चले तो मोटर गाड़ी
पटरी पे चले तो रेल गाड़ी बन जाएंगे ।।
बिरजू ने कहा पटरी पटरी चलो भैया
गांव जल्दी पहुँच जाएंगे ।।
बिहान हुई चली हवा मंद
थक कर हम लेटे किए आंखें बंद ।।
चारपाई पे दिखी हमको माई
और गोरथारी में लेटे हम
नई फ्रॉक में खेले बिटिया
मुनिया की अम्मा से कर लूं बातें चंद ।।
अबकी गांव में बड़ी मौज़ रहेगी
आम भी छक कर खाएंगे ।।
बापू के कंधे पर टेशन पहुंचे
देखी लोहे की गाड़ी लोहे के पहिए
जोर की सीटी..
धड़ धड़.. धड़ धड़..
तेज रोशनी और सन्नाटा ।।
पूरे नहीं टुकड़ों में सही
अब तो गांव पहुँच ही जाएंगे ।।

गौरव वर्मा
मुख्य प्रबंधक
अंचल कार्यालय, सिलीगुड़ी

ग़ज़ल

अजब मिजाज है ज़माने का, क्या-क्या सोचे, मौत साथ लिए घूमे, जिन्दगी की सोचे।
तमाम उम्र जिसने, खुद से बेवफाई की, गैर से वो भी, वफा की सोचे।
ज़मीन पाँव तले खुद की नहीं है फिर भी हर वो शख्स आसमाँ पे, टहलने की सोचे।
शहर में बस गए, आ के अजनबी जैसे, निभेंगे रिश्ते गाँव की तरह सोचे।
गजब की आरजू पाले हैं, आज इंसाँ भी, लगा के नीम आम की सोचें।

अश्वनी कुमार यादव
सिंगल विंडो आपरेटर
अंचल कार्यालय, वाराणसी

कौन कहता है

दिन को दिन रात को रात कौन कहता है
अब भला सच्ची बात कौन कहता है,

ऐसे सवाल जिनका जवाब हो मुश्किल
उन सवालों को सवालात कौन कहता है,

घड़ी भर भी न देखा जी भर कर उसने
ऐसे मिलने को मुलाकात कौन कहता है,

धर्म मजहब जात पात सबसे सियासी झगड़े हैं
सुधर जाएंगे कभी ये हालात कौन कहता है,

कोई भी शख्स भूखा ना सोये एक भी दिन
ऐसी होगी क्या करामात कौन कहता है,

सारी खुशियां अमीरों के नाम कर दी गई
गरीब भी रखते हैं जज्बात कौन कहता है,

न लेना है न देना है हिंदू और मुसलमां से
फकीर की भी होती है जात कौन कहता है

समझाया जा रहा है

आग को गोला बारूद बनाया जा रहा है
जहर नफरत का और फैलाया जा रहा है,

हम अपने शहर में सुकून से थे लेकिन
यह सियासत है हमें भड़काया जा रहा है,

पड़ोसी जो दुख दर्द का साथी है मेरे
उसी से है खतरा मुझको बताया जा रहा है,

दो ही जात है दुनिया में गरीबी और अमीरी
मैं हिंदू और वो मुसलमां समझाया जा रहा है,

जो ताकतवर है चित्त और पट दोनों उसी के हैं
कमजोरों को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है,

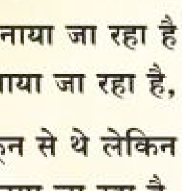

राजेश कुमार सिंह
मुख्य प्रबंधक
अहमदाबाद मुख्य शाखा

यादों का मुसाफिर

याद रखना मुझे....
जब भी अपने युवाकाल में
इक उम्दा नौकरी पाने की
जद्दोजहद का ख्याल आये ।
याद रखना मुझे....
जब नौकरी में बिताये हुए पलों
सालों में शाखा के नाम के
साथ मेरा नाम आये ।
याद रखना मुझे....
जब खुद के जीवन में घटी हर
अच्छी - बुरी परिस्थिति का अपनी ही
किसी शाखा से जुड़ाव आये ।
याद रखना मुझे....
जब ट्रान्सफर से शाखा में
बहुत कुछ पीछे छूटा,
पर मिला साथ कुछ साथियों का,
जो कभी ना टूटा ।

याद रखना मुझे....
जब *इंडियन बैंक* में
विलय के बाद भी
परिचय में फिसलता हुआ
इलाहाबाद बैंक का नाम आये ।
याद रखना मुझे....
जब अनेको बार
लड़खड़ा कर उठने के
उस जज्बे के संघर्षमय
स्वर्णमयी इतिहास में मेरा नाम आये ।
याद रखना यह सदा,
कि कोई था, जब कोई नहीं था ।
बस दुआ में याद रखना -
आपका अपना
इलाहाबाद बैंक

प्रतीक अग्रवाल
वरिष्ठ प्रबंधक (वसूली)
अंचल कार्यालय, मेरठ

* सुप्रभात *

खुद से यूं ख़फ़ा
नहीं रहिये,
वक्त जैसा भी हो
जाया नहीं कीजे।

सुबह से रात तक
खुद से उसूलन लड़ना,
फ़िर कोई ज़ख़्म नया
ना कीजे।

घर में जो कुछ भी है
आपका ही तो है,
बेवज़ह उनकी क़ीमतें
रोज़ ना आका कीजे।

मुश्किलें कम तो नहीं हैं
रोज़मर्रा की,
मेहमान हैं वे,
हंसकर उन्हें विदा कीजे।

मौसम ही तो है,
कभी सर्दी कभी बारिश होगी ही,
पलों को संदली बनादे ऐसी नयी ग़ज़ल कहा कीजे।

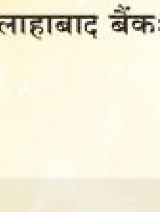

दयाल शरण श्रीवास्तव
वरिष्ठ प्रबन्धक,
अंचल कार्यालय, भोपाल

मां-कविता

इस जन्मदिन पर एक नया
पैगाम होना चाहिए
उस का भी जिसने जन्मा है
आज नाम होना चाहिए
है दूर तू मां आज और
टीका नहीं कर पाएगी
हाथों से तेरे भाल पर
रोली नहीं लग पाएगी
पर न निराश होना तू
क्यों कि मैं तेरा खून हूं
बस नाम लूँगा माँ तेरा
और लालिमा आ जाएगी
इतना तो मेरे खून में
बहराम होना चाहिए
उस का भी जिसने जन्मा है
आज नाम होना चाहिए
रखता हूं उन नोटों को माँ
हर दम मैं अपनी जेब में
तू ने जो न्यौछावर किए
सम्भाल कर सहेज में
दौलत भला कितनी ही हो
रईसियत क्या लाएगी
तू एक का सिक्का भी दे
माँ बरकतें आ जाएगी
तू ही बता ममता का क्या
कोई दाम होना चाहिए
उस का भी जिसने जन्मा है
आज नाम होना चाहिए
तज कर के अपनी नींद
तू ने रात भर पंखा झला
तू फिर भी मुस्काती रही
जब हाथ चूल्हे पर जला

अंकुर सक्सेना
मुख्य प्रबंधक
इंदौर मुख्य शाखा

था स्वाद छप्पन भोग का
अमृत माँ तेरी खीर थी
तू रूप थी भगवान का
खुदा की तू तस्वीर थी
मातृत्व की शक्ति को फिर
प्रणाम होना चाहिए
उस का भी जिसने जन्मा है
आज नाम होना चाहिए
गर चाहता भगवान है
कि मंदिरों पूजूं उसे
पत्थर में खोजूं ईश को
और मस्जिदों ढूंढू उसे
तू जा के उस भगवान को
अपनी थोड़ी तासीर दे
उसको भी माँ तेरी तरह
मेहरबान होना चाहिए
उस का भी जिसने जन्मा है
आज नाम होना चाहिए
माँ माफ करना बेटा अगर
राजा नहीं बन पाऊ मैं
सपने तो तेरे होंगे पर
पूरा नहीं कर पाऊं मैं
कोशिश में हूं कर्जा तेरा
अगले जनम चुकाऊं मैं
पर माँ तू आ जाना हमेशा
जब जब तुझे बुलाऊं मैं
इस पुत्र की चिट्ठी को
माँ के नाम होना चाहिए
इस जन्मदिन पर एक नया
पैगाम होना चाहिए
उस का भी जिसने जन्मा है
आज नाम होना चाहिए

साइबर अपराध

दुनिया भर में लोग इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे लोगों की निजी जानकारियों की ऑनलाइन चोरी कर रहे हैं, जिसे साइबर अपराध कहते हैं। आज के अत्याधुनिक तकनीकी युग में लोग अपना जीवन सरल बनाने के लिए कई उपकरणों का प्रयोग करते हैं।

वैश्वीकरण ही एकमात्र ऐसा कारण है जिसके द्वारा दुनियाभर के लोग एक दूसरे से आसानी से जुड़ पाने में सक्षम हुए हैं। तकनीक का आसानी से उपलब्ध होना एवं इसका लगातार प्रयोग, लोगों के संवाद के तरीकों एवं जीवन के संचालन पर गहरा प्रभाव डालता है।

इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग एवं कंपनियां दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ पाते हैं। तकनीकी उन्नति ने मनुष्य को इंटरनेट पर हर रूप से निर्भर कर दिया है । इंटरनेट की आसान पहुंच ने हर चीज को सिर्फ एक जगह पर बैठकर ही उपलब्ध करा दिया है।

सामाजिक नेटवर्किंग, ऑनलाइन खरीद, जानकारी का आदान प्रदान, गेमिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन नौकरियां, जिस भी चीज के बारे में मनुष्य कल्पना कर सकता है, वह सभी बस एक क्लिक के द्वारा इंटरनेट से संभव है ।

इंटरनेट आज के युग में हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है । इंटरनेट के बढ़ते फायदों के साथ साइबर अपराध के भय का मुद्दा भी उभरकर आया है । साइबर अपराध अलग-अलग तरीकों से होते हैं । कुछ वर्षों पहले तक इन सब चीजों के बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी । विदेशों के साथ-साथ भारत में भी साइबर अपराध की घटनाएं एवं दर दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं।

साइबर अपराध क्या है ?

साइबर अपराध या कंप्यूटर उन्मुख अपराध ऐसा अपराध है जिसमें एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क शामिल होता है । साइबर अपराध में शामिल होता है आधुनिक दूर संचार नेटवर्क (इंटरनेट, मोबाइल फोन) का अवैध रूप से उपयोग, जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ अपराध किया जा सके, उनको प्रताड़ित किया जा सके, जानबूझ कर उनको शारीरिक या मानसिक नुकसान एवं उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके।

साइबर अपराध द्वारा किसी व्यक्ति या राष्ट्र की सुरक्षा एवं वित्तीय स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है । साइबर अपराध एक अवैध कार्य है जहां कंप्यूटर को साधन या लक्ष्य या दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है । साइबर अपराध एक व्यापक शब्द है, जो कि इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है: ऐसी आपराधिक गतिविधि जहां कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को साधन, लक्ष्य या आपराधिक गतिविधि के स्थान की तरह इस्तेमाल किया जाता है।

साइबर अपराध को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है :

पहला, ऐसे अपराध जिनमें कंप्यूटर को लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ।

दूसरा, ऐसे अपराध जिनमें कंप्यूटर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है ।

नेशनल क्राईम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध की दर साल 2011 में 85% तक बढ़ी है, देश के विभिन्न राज्यों से यह आंकड़ा इकट्ठा किया गया है। साइबर अपराध में गिरफ्तार हुए ज्यादातर अपराधियों की आयु 18 से 30 वर्ष पाई गई ।

साइबर अपराध के प्रकार : साइबर अपराध के निम्नलिखित प्रकार है -

अनधिकृत उपयोग एवं हैकिंग

अनधिकृत उपयोग एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर के मालिक की अनुमति के बिना कंप्यूटर का किसी भी प्रकार से अवैध उपयोग किया जाता है । हैकिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर प्रणाली में अवैध घुस-पैठ कर के उसको नुकसान पहुंचाया जाता है।

वैब हाईजैकिंग

यह एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की वेबसाइट पर अवैध रूप से सशक्त नियंत्रण कर लिया जाता है । इस प्रकार वेबसाइट का मालिक उस वेबसाइट पर नियंत्रण एवं ज़रूरी जानकारी खो देता है ।

पॉर्नोग्राफी

यह एक ऐसा अपराध है जिसमें यौन क्रियाएं दिखा कर, यौन उत्तेजना द्वारा पीड़ित से गलत काम कराया जाता है ।

बाल यौन शोषण

इंटरनेट पर भारी मात्रा में बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले देखे जा सकते हैं । छोटे बच्चे ऐसे आपराधिक मामलों में आसान शिकार होते हैं । चूंकि कंप्यूटर घर-घर में मौजूद है , इस कारण बच्चों की पहुंच इंटरनेट तक बहुत आसान हो गई है ।

इंटरनेट पर अश्लील सामग्री बहुत आसानी से उपलब्ध होती है । अपराधी बच्चों को अश्लील सामग्री देकर ललचाते हैं ताकि वह उनका अनुचित लाभ उठा सकें । अपराधी बच्चों से संपर्क करते हैं, बात करते हैं, मित्रता बढ़ाते हैं, ताकि उनका आत्मविश्वास जीत सके अथवा उनका शोषण कर सके ।

साइबर स्टॉकिंग

यह एक ऐसा अपराध है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को बार-बार उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है - पीड़ित का पीछा करके, तंग करके, कॉल द्वारा परेशान करके, संपत्ति के साथ छेड़-छाड़कर करके, स्टॉकिंग के उपरांत पीड़ित को मानसिक एवं शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना मकसद होता है ।

स्टॉकर (अपराधी) व्यक्ति, पीड़ित की सारी जानकारी अवैध रूप से इकट्ठा कर के एवं इंटरनेट पर उनकी गलत छवि दिखाकर हानि पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं ताकि भविष्य में भयादोहन (ब्लैक मेल) कर उनका अनुचित लाभ उठा सकें ।

सर्विस अटैक

यह एक ऐसा अपराध है, जिसमें पीड़ित के नेटवर्क या विद्युत संदेश पात्र को बेकार यातायात एवं संदेशों से भर दिया जाता है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि पीड़ित को जान बूझकर तंग किया जा सके या पीड़ित अपना ई-मेल इस्तेमाल न कर पाए।

वायरस अटैक

वायरस ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं अथवा अपनी प्रतियां बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल जाते हैं। यह दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर होते हैं जो अपने आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से जोड़ लेते हैं अथवा कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं।

टोजनहॉर्स, टाइमबम, लॉजिकबम, रैबिट आदि, यह सभी सॉफ़्टवेयर हैं। वायरस कंप्यूटर पर कुछ इस तरीके से प्रभाव डालते हैं कि वह कंप्यूटर में मौजूद जानकारी को बदल देते हैं या नष्ट कर देते हैं ताकि वह इस्तेमाल करने लायक ही न रह पाए।

सॉफ्टवेयर पायरेसी

यह एक ऐसा अपराध है, जिसमें वास्तविक प्रोग्राम की अवैध प्रतिलिपि बनाकर जालसाजी द्वारा उसे वितरित किया जाता है। इसमें और भी अपराध शामिल है, जैसे सत्तवाधिकार उल्लंघन, ट्रेडमार्क उल्लंघन, कंप्यूटर सोर्स कोड की चोरी आदि।

सलामी अटैक / हमला

यह एक तरीके का वित्तीय अपराध है। ठगी इतनी छोटी होती है कि पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, उदाहरण के लिए अगर कोई बैंक कर्मचारी इस प्रकार की धोखाधड़ी करे और वह हर खाताधारक के बैंक खाते से हर माह 5 काटे, तो कोई भी इतनी थोड़ी धनराशि के कटने को पकड़ नहीं पाएगा, पर अपराधी के पास महीने के अंत में काफी अच्छी मात्रा में धनराशि इकट्ठी हो जाएगी।

फिशिंग

यह एक ऐसा अपराध है जिसमें पीड़ित को ई-मेल भेजा जाता है। ई-मेल में यह दावा किया जाता है कि यह ई-मेल एक स्थापित उद्यम द्वारा भेजा गया है, ताकि पीड़ित से गोपनीय निजी जानकारी निकलवा सके अथवा पीड़ित की निजी जानकारी को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर हानि पहुंचाई जा सके।

साइबर अपराध को रोकने के उपाय

कंप्यूटर उपयोगकर्ता साइबर अपराध को रोकने के लिए विभिन्न तकनीकों को अपना सकते हैं -

कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को हैकर्स से अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए एक फ़ायरवॉल का उपयोग करना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे Mcfee या Norton एंटीवायरस के रूप में स्थापित करने चाहिए। साइबर विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि उपयोगकर्ता को केवल सुरक्षित वेबसाइट्स पर ही खरीदारी करनी चाहिए। वे अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी संदिग्ध या अजनबियों को कभी न दें।

उपयोगकर्ताओं को अपने खातों पर मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए, अर्थात अक्षरों और संख्याओं को पासवर्ड में शामिल करें एवं लगातार पासवर्ड और लॉगिन विवरण अद्यतन करते रहना चाहिए।

बच्चों पर नजर रखे और उनके द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल को सीमित रखें। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब की सुरक्षा सेटिंग्स की जाँच करें और सावधान रहें।

हैकिंग से बचने के लिए अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें। अधिकांश संवेदनशील फ़ाइलों या वित्तीय रिकॉर्ड के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करें, सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नियमित बैक-अप बनाएं और इसे किसी अन्य स्थान पर संग्रहीत कर लें।

उपयोगकर्ताओं को सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट का उपयोग करते समय सचेत रहना चाहिए। इन्टरनेट पर वित्तीय लेनदेन करने से बचें।

उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर नाम, पता, फोन नंबर या वित्तीय जानकारी जैसे व्यक्तिगत जानकारी देते समय सावधान रहना चाहिए। सुनिश्चित करें कि वेबसाइट्स सुरक्षित हैं।

किसी लिंक या अज्ञात मूल की फ़ाइल पर क्लिक करने से पहले सभी चीजों का बुद्धिमत्ता से आंकलन करना चाहिए। इनबॉक्स में हर किसी भी ई-मेल को न खोलें। संदेश के स्रोत की जांच करें। यदि कोई संदेह हो, तो स्रोत सत्यापित करें। कभी उन ई-मेल का जवाब न दें जो उनसे जानकारी सत्यापित करने या उपयोगकर्ता के पासवर्ड की पुष्टि करने के लिए हैं।

साइबर सुरक्षा की परिभाषा

परिभाषा - यह एक तरह की सुरक्षा है जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टमों के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने का भी काम किया जाता है।

साइबर सुरक्षा और सुरक्षा फोर्स दोनों ही डाटा की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं जिससे कि किसी भी तरह से डाटा की चोरी न हो और सभी डॉक्युमेंट और फाइल सुरक्षित रहें। बड़े-बड़े कम्प्युटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में समर्थ होते हैं ।

साइबर सुरक्षा के तत्व

इसमें काफी तरह के प्रयास किए जाते हैं जिससे कि डाटा को सुरक्षित रखा जा सके।

एप्लिकेशन सुरक्षा, जानकारी सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, आपातकालीन सुरक्षा, ऑपरेशनल सुरक्षा, एंड यूजर शिक्षा, डाटा सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा।

साइबर सुरक्षा में कई बार खतरा इसलिए है क्योंकि नेटवर्क कनैक्शन और इंटरनेट काफी तेज़ी से दुनिया को बदलता जा रहा है इस वजह से सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण हो गयी है ।

इस तरह की गतिविधि से निपटने के लिए प्रशासन कई तरीके अपना रहा है । साइबर सुरक्षा के लिए कई देशों द्वारा पुख्ता पूंजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि उन देशों का निजी डाटा लीक नहीं हो और सारी जानकारी सुरक्षित रहे ।

साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार

बदलती तकनीक की वजह से हमारी सुरक्षा और थ्रेट इंटेलिजेंस हमारे लिए काफी चुनौती भरा काम हो गया है । हालांकि साइबर धमकियों से बचने के लिए हमें हमारी जानकारी को सुरक्षित रखना काफी जरूरी है ।

रेनसम वेयर - यह एक तरह का वाइरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कम्प्युटर और सिस्टमों में हमला करने के लिए काम में आता है। यह कम्प्युटर में पड़ी फाइलों को काफी नुकसान पहुँचाता है । फिर उसके बाद अपराधी ने जिस किसी का भी कम्प्युटर या सिस्टम इस तरीके से खराब किया होता है, उससे रिश्वत लेता है और उसी के बाद उसके सिस्टम को छोड़ता है ।

मालवेयर - यह कम्प्युटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुँचाता है जैसे कि कम्प्युटर वाइरस, वोर्म, ट्रोजन आदि।

सोशल इंजीनियरिंग - यह एक तरीके का हमला है जो की मनुष्य के वार्तालाप पर निर्भर करता है। जिससे की बड़ी चालाकी से लोगों को जाल में फसाया जा सके और उनसे उनके निजी डाटा, पासवर्ड आदि को निकलवाया जा सके। इस वजह से भी लोगों को काफी खतरा है इसलिए जिस किसी से भी बात करें काफी सोच समझकर ही करें।

फिशिंग - यह एक तरह की धोखाधड़ी (फ्रॉड) है, जिसमें फ्रॉड वाले ई-मेल लोगों को किए जाते हैं जिससे की उन्हें यह लगे के ये मेल किसी अच्छी संस्था से आया है। इस तरह के मेल का मकसद जरूरी डाटा को चुराना होता है जैसे कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी या फिर लॉगइन जानकारी।

साइबर सुरक्षा के फायदे

साइबर सुरक्षा इसलिए जरूरी है, क्योंकि सरकार, मिल्टरी, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल और मेडिकल संस्था काफी तरह के डाटा को एकत्रित करता है और उस डाटा को अपने सिस्टम, कम्प्युटर और अन्य उपकरणों में रखता है। इस डाटा का कुछ भाग काफी महत्वपूर्ण भी हो सकता है जिसके चोरी होने से किसी की निजी ज़िंदगी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है और इससे उस संस्था की सारी मिट्टी पलीत हो सकती है।

साइबर सुरक्षा की मदद से बहुत सारा डाटा सुरक्षित रखा जाता है जिससे कि यह डाटा किसी और के हाथ नहीं लग सके। जैसे-जैसे डाटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें साइबर सुरक्षा के अच्छे और प्रभावशाली उत्पादों और सेवाओं की जरूरत पड़ती है।

साइबर सुरक्षा की मदद से हम साइबर हमले, डाटा की चोरी और चोरों की धमकी से बच सकते हैं किसी संस्था में अच्छे नेटवर्क की सुरक्षा और किसी भी तरह की मुश्किल से बचने के तरीके केवल साइबर सुरक्षा के उत्पादों और सेवाओं की मदद से ही मुमकिन हो पाते हैं। उदाहरण के लिए विविध प्रकार के एंटिवाइरस आदि हमें वाइरस के हमलों से बचाते हैं।

निष्कर्ष

संक्षेप में, साइबर अपराध एक गंभीर खतरे के रूप में विकसित हो रहा है । दुनिया भर की सरकारों, पुलिस विभागों और गुप्तचर इकाइयों ने साइबर अपराध के खिलाफ प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है । सीमा पार साइबर खतरों पर अंकुश लगाने के लिए अंतर राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रयास किए जा रहे हैं । भारतीय पुलिस ने देश भर में विशेष साइबर सेल शुरू कर दी है और लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया है, ताकि वे ज्ञान हासिल करें और ऐसे अपराधो से खुद को बचाएं।

साइबर सुरक्षा में नौकरियाँ

जिस तरह से साइबर खतरों की गति बढ़ती जा रही है उसी तरह इन हमलों से बचने के लिए लोगों की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता बढ़ती जा रही है।

यह बताया जा रहा है कि विश्व में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कम से कम 1 मिलियन नौकरियाँ खाली पड़ी है। आईटी प्रोफेशनल और कम्प्युटर विशेषज्ञ इस तरह की साइबर सुरक्षा की नौकरियों के लिए समर्थ हैं।

चीफ़ इन्फॉर्मेशन सेक्यूरिटी ऑफिसर - यह व्यक्ति किसी संस्था में सेक्यूरिटी के लिए एक सॉफ्टवेयर लगा कर, उस संस्था के डाटा का रखवाला होता है और आईटी सेक्यूरिटी डिपार्टमेंट का प्रमुख कहलाता है ।

सेक्यूरिटी इंजीनियर - यह कंपनी को क्वालिटी कंट्रोल की मदद से जोखिमों से बचाता है।

सेक्यूरिटी आर्किटेक्ट - यह व्यक्ति प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, रखरखाव आदि का काम करता है।

सेक्यूरिटी एनालिस्ट - इस व्यक्ति का काम है कि किस तरह से सिस्टम की सुरक्षा की जाये और क्या-क्या मापदंड अपनाए जाएँ, जिससे कि डाटा को सुरक्षित रखा जा सके ।

साइबर आतंकवाद की चुनौती

साइबर सुरक्षा इन दिनों चर्चाओं में है। इससे जुड़ी दो महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले दिनों घटित हुई। चीन के मिलिट्री हैकरों ने पश्चिमी देशों की सरकारों की कम्प्यूटर प्रणाली पर हमला बोला और अमेरिकी एयर फोर्स ने साइबर स्पेस कमान नाम के संगठन का गठन किया ।

इसे संयोग ही कहा जायेगा कि दोनों घटनाएं एक ही समय हुई, लेकिन इनसे इक्कीसवीं सदी में साइबर प्रणाली से जुड़े खतरों की वास्तविकता और भयावहता का अनुमान लगाया जा सकता है । आज रोजमर्रा की कार्य प्रणाली में साइबर स्पेस का दायरा उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। सरकारें, प्रशासन, शिक्षा, संचार और सूचना के विस्तार में इसका बढ़-चढ़कर इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर आंतकवादी समूह साइबर तकनीक का उपयोग अपने प्रचार, विभिन्न गुटों के साथ समन्वय तथा अर्थप्रबंधन के लिए कर रहे हैं।

साइबर तकनीक का इस तरह दुरुपयोग देखते हुए अब विशेषज्ञ भी खासे चिंतित हैं । आज कम्प्यूटर का उपयोग करने वाला हर व्यक्ति कम्प्यूटर वायरस के हमले के बारे में जानता है । जब यह खतरा बड़े पैमाने पर हो तो इसकी भयावहता और दुष्परिणाम के बारे में सहजता से समझा जा सकता है ।

आज रेलवे, एयरलाइंस, बैंक, स्टॉक मार्केट, हॉस्पिटल के अलावा सामान्य जनजीवन से जुड़ी हुई सभी सेवाएं कम्प्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ी हैं, इनमें से तो कई पूरी तरह से इंटरनेट पर ही आश्रित हैं, यदि इनके नेटवर्क के साथ छेड़-छाड़ की गयी, तो क्या परिणाम हो सकते हैं यह बयान करने की नहीं अपितु समझने की बात है।

अब तो सैन्य-प्रतिष्ठानों का काम-काज और प्रशासन भी कम्प्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ चुका है । जाहिर है कि यह क्षेत्र भी साइबर आतंक से अछूता नहीं बचा है। इसीलिए सूचना तकनीक के विशेषज्ञ साइबर सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं ।

साइबर स्पेस एक ऐसा क्षेत्र है जहां बिना किसी खून-खराबे के किसी भी देश की सरकार को आंतकित किया जा सकता है। साइबर के जरिए आतंक फैलाने वाले, कम्प्यूटर से महत्वपूर्ण जानकारियां निकाल सकते हैं तथा इसका इस्तेमाल धमकी देने व सेवाओं को बाधित करने में कर सकते हैं ।

अभी सामान्य तौर पर साइबर अपराध के जो छोटे-मोटे अपराध सामने आते हैं, वह प्राय: युवा या विद्यार्थी वर्ग द्वारा महज मजा लेने या खुराफात करने के होते हैं, लेकिन यदि इन्हीं तौर-तरीकों का उपयोग व्यापक पैमाने पर आतंकवादी समूह करने लगें तो भारी मुश्किलें खड़ी हो जायेंगी ।

यह सही है कि साइबर से जुड़ी अभी तक कोई बड़ी आतंकवादी घटनाएं प्रकाश में नहीं आई हैं, पर इसका अंदाज़ एक साधारण से मामले से लगा सकते हैं। 1998 में एक बारह वर्षीय बालक ने अमेरिका के अरिजोना स्थित थियोडोर रूजवेल्ट डैम की कम्प्यूटर प्रणाली को हैक कर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस प्रणाली के जरिए बाढ़ नियंत्रण व बांध के गेट का संचालन किया जाता था। अब यदि वह हैकर चाहता तो कभी भी बांध के गेट खोल सकता था और इससे कितनी बड़ी आबादी में तबाही मचती, बताने की जरूरत नहीं ।

आज इस बात की पुख्ता खुफिया खबरें हैं कि अलकायदा जैसे कई खतरनाक आतंकवादी संगठन साइबर स्पेस के जरिए दुनिया भर में आतंक फैलाने की फिराक में हैं। ऑन-लाइन से जुड़े आतंकवाद के खतरों को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1996 में ही भांप लिया था और उन्होंने तभी इस चुनौती से निबटने के लिए क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन कमीशन का गठन किया था ।

साइबर स्पेस में आतंकवाद की घुसपैठ का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भविष्य में होने वाले युद्धों और संघर्षों में यह एक भयावह वास्तविकता के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। साइबर आतंकवादी नई संचार तकनीक के औजारों और तौर-तरीकों का इस्तेमाल करके नेटवर्क को तहस-नहस कर सकते हैं, हैकिंग के साथ ही कम्प्यूटरों को बड़े पैमाने पर वायरस से संक्रमित कर सकते हैं, ऑनलाइन नेटवर्क सेवाओं को बाधित कर सकते हैं।

यही नहीं वे सरकारों व प्रतिष्ठानों के महत्वपूर्ण ई-मेल में भी प्रवेश कर सकते हैं। कोई कम्प्यूटर हैकर आंतकवादियों के साथ मिलकर साइबर से जुड़ी किसी भी खतरनाक घटना को अंजाम दे सकता है। आज जब यह सच दुनिया के सामने आ ही गया है कि आंतकवाद के खूनी खेल में पढ़े -लिखे विषय विशेषज्ञ, आईटी और मेडिकल के होनहार युवक भी शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में इनकी प्रतिभा का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य क्षेत्र के साइबर नेटवर्क को भेदने में सहजता से किया जा सकता है ।

वैसे तो अभी दुनिया भर के सभी सैन्य संगठन किसी भी तरह के साइबर हमले से बचने के लिए एक सहज तरीका इस्तेमाल करते हैं कि वे अपनी सूचनाओं को इंटरनेट के साथ नहीं जोड़ते, लेकिन यह व्यवस्था भी अभेद्य नहीं है । सेनाएं शांतिकाल में व युद्ध के समय अपने अभियानों को अंजाम देने के लिए इंटरनेट पर तेजी से आश्रित होती जा रही हैं ।

आज साइबर आतंकवाद और उससे जुड़े अपराधों को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका ने साइबर स्पेस कमान गठित कर के नई सदी की इस चुनौती से निपटने के लिए कमर कस ली है। भारत जैसे राष्ट्र को भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए ऐसे ही इंतजामों की दरकार है । सौभाग्य से भारत में आईटी के ऐसे बहुत से विशेषज्ञ हैं, जिनकी सेवाएं साइबर आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए ली जा सकती हैं ।

सरकार को चाहिए कि नागरिक और सैन्य क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए वह ऐसी नीति व कार्य योजना तैयार करे, जिससे समय रहते ही आईटी और साइबर से जुड़े अपराधों व आतंक की संभावनाओं से निपटा जा सके।

*****

धीरज के.जनबंधु
उप अंचल प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, नोएडा

अधरों में राग अमंद पिए
अलकों में मलयज बंद किए
तू अब तक सोई है आली
आँखों में भरे विहाग री!
बीती विभावरी जाग री!

-जयशंकर प्रसाद

नव गति, नव लय, ताल-छंद नव
नवल कंठ, नव जलद-मन्द्ररव;
नव नभ के नव विहग-वृंद को
नव पर, नव स्वर दे!
वर दे, वीणावादिनि वर दे।

- सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

डिजिटल बैंकिंग - अवसर और चुनौतियाँ

डिजिटल बैंकिंग का अर्थ है, बैंकों की कार्यप्रणाली को तकनीकी रूप से विकसित करना और ग्राहकों को कहीं भी और कभी भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना। इससे उनकी उर्जा, समय और पैसे की बचत होती है।

उपरोक्त विषय के इतिहास में प्रकाश डाला जाए तो हम देखेंगे कि ऐतिहासिक रूप से भारत एक बहुत ही विकसित आर्थिक व्यवस्था थी। सन् 1991 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए जो इस दृष्टि से अच्छे प्रयास थे। इनमें उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण के प्रति आग्रह शामिल था। इन उपायों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। जिनका केन्द्र बिन्दु भारतीय बैंकिंग प्रणाली थी। इस अतिपरिवर्तनशील माहौल में बैंकों के डिजिटलीकरण के प्रयासों में तुरंत कदम उठाए गए ताकि बदलते तकनीकी माहौल में अपने ग्राहकों को विश्वस्तरीय सुविधा दी जाए।

इस प्रकार डिजिटल बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई और रंगराजन समिति की रिपोर्ट ने इस प्रयास को तेज गति प्रदान की। डिजिटल बैंकिंग शाखाओं से अधिकाधिक कार्यों को बैंकिंग के वैकल्पिक साधनों पर स्थानांतरित करने का प्रयास है।

बैंकों ने हाल के वर्षों में ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए सूचना तकनीक को उच्च प्राथमिकता दी है और इस क्षेत्र में कई महत्व पूर्ण कार्य किए हैं। अब ग्राहक सीबीएस के कारण कहीं भी कभी भी बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा रहें हैं। डिजिटलीकरण ने बैंकिंग को बहुत ही सहज और आसान बना दिया है, जिससे ग्राहक सुविधा में भारी बढ़ोतरी हुई है और उनके समय और पैसे की बचत हो रही है। एटीएम, इन्टररनेट बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग इत्यादि डिजिटल बैंकिंग के माध्यम है। बैंकों की ई-लॉबी शाखा ग्राहकों को सारा ट्रांजेक्शन स्वयं करने की सुविधा देती है। हाल के वर्षों में तकनीकी रूप से उच्च गुणवत्ता वाले स्मार्ट फोन, लैपटॉप की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि ने डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते हुए कदमों को और गति प्रदान की है। इस प्रणाली ने बैंकिंग कार्यक्षेत्र की मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता में भी वृद्धि की है, जिसका परिणाम अच्छी ग्राहक सेवा के रूप में उभर कर आया है। डिजिटल बैंकिंग से प्राप्त सुविधाओं पर ग्राहकों से मिली अति उत्साहजनक प्रतिक्रिया से देश के सभी प्रमुख बैंक डिजिटल बैंकिंग में भारी निवेश भी कर रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग की बढ़ती लोकप्रियता के साथ बैंकिंग व्यवस्था चुनौतियों का सामना भी कर रही है जो कि निम्न है:-

1. सुरक्षा :- यह पहली भावना है जो किसी भी व्यक्ति के मन में कहीं भी पैसा रखने पर आती है। आज के इस आधुनिक युग में हैकर्स बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा को अत्यधिक चुनौती दे रहे हैं। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि केवल एंटीवायरस को संग्रहित करके स्थापित करना बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करना नहीं है। इन्ही सुरक्षा संबंधी कुछ शंकाओं के कारण काफी ग्राहक डिजिटल प्रणाली पूरी तरह से अपनाने में संकोच कर रहे हैं। बैंकों के सामने यह चुनौती है कि ग्राहकों को बिना किसी संकोच के डिजिटल मंच के इस्तेमाल के लिए आश्वस्त किया गया। बैंकों द्वारा उनके डिजिटल मंच को लगातार मजबूत किए जाने की जरूरत है और ग्राहकों को भी इस मंच के उपयोग करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी जागरूक करने की जरूरत है।

2. **डिजिटल बैंक अपने मूलभूत ढाँचे के साथ :-** यद्यपि बहुत सारे लोग डिजिटल बैंकिंग को गले लगा रहे है, फिर भी ऐसे लोगों की तादाद बड़ी है जो इसमें विश्वास नहीं रखते कि डिजिटल बैंकिंग जैसी भी कोई प्रणाली हो सकती है, जब तक उनके सामने ईंट और पत्थर से बने बैंक के ढांचे के रूप में कोई सबूत न हो। यह अविश्वास बैंकों के डिजिटलीकरण होने की राह में सबसे बड़ी चुनौती है।

3. **अधीन बैंकिंग प्रणाली की क्रमागत उन्नति :-** आज भी ज्यादातर बैंकों की कार्यप्रणाली में कंप्युटर की व्यापारिक भाषा का प्रयोग होता है। यह पिछले 60 सालों से अनवरत चलता आ रहा है और जिसका आज की डिजिटल बैंकिंग प्रणाली में कोई उपयोग नहीं है। इस भाषा के सापेक्ष उन्नत भाषा का समावेशन बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, जिसमें अच्छा खासा समय लगता है। डिजिटल बैंकिंग की माँग बढ़ने के साथ इस तरह की उन्नति वाले कार्य डिजिटल बैंकिंग को निर्बाध रूप से चलने में बड़ी चुनौती प्रदान करते हैं।

4. **गैर वित्तीय संस्थानों से चुनौती :-** बहुत सारे गैर वित्तीय संस्थान भी बैंकिंग जैसी सुविधाएं देने का वादा करते हैं। सोशल मीडिया मंच उनका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि इसमें उन्हें ग्राहकों को बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि ग्राहक उस मंच से पहले से ही जुड़े होते हैं तो यह माध्यम उन्हें बहुत ही आसान लगता है। चूंकि गैर वित्तीय संस्थान जो कि सोशल मीडिया पर छाये रहते हैं वो किसी वित्तीय संस्थान के नियमों से बँधे नहीं होते है, अत: बैंकिंग प्रणाली को इन गैर वित्तीय संस्थानों से भी कड़ी चुनौती मिलती है।

5. **आंतरिक रुकावट :-** डिजिटल बैंकिंग होने का अर्थ है कि बैंकिंग कार्यप्रणाली और बैंक के कर्मचारी दोनों ही एक सांस्कृतिक बदलाव से गुजरेंगे। इसमें सभी कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देने की चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि कुछ विभागों को तो डिजिटलीकरण से बहुत ही फायदा होगा। जबकि कुछ विभागों में कर्मचारियों की जरूरत शून्य रहेगी।

   उपरोक्त सारी चुनौतियों के बावजूद डिजिटल बैंकिंग धीरे-धीरे एक आकार ले रहा है। कुछ बैंक तो पूरी तरह से डिजिटल होकर इस प्रयास को एक गति प्रदान कर रहे हैं।

इस गति से बैंकिंग प्रणाली को बहुत सारे अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं जो कि निम्नलिखित हैं:-

1. **ज्यादा का फायदा :-** डिजिटल बैंकिंग होने से समय की कोई पाबंदी नहीं होती। अपनी इच्छा और समयानुरूप लेन-देन का कार्य करा सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग के द्वारा बैंक हर पल बैंकिंग की सुविधा देती है जो ग्राहक के समय के बचत के साथ उनके लाभ को बढ़ाने में सहयोग करती है।

2. **समय के साथ ज्यादा ग्राहकों से जुड़ाव :-** इसमें कोई शंका नही कि अब हर एक व्यक्ति डिजिटल दौर में आगे बढ़ रहा है। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग ग्राहक हैं जो बैंक में कार्य होने तक इंतजार कर सकते हैं लेकिन हम युवाओं से इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। वह दुनिया की तेज गति के साथ चलना पसंद करते हैं। डिजिटल बैंकिंग उनके लिए वरदान की तरह है। चूंकि आने वाली पीढ़ी डिजिटलाइजेशन को ही बैंक के भविष्य के रूप में देखेगी। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि डिजिटल बैंकिंग से भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे।

3. **ऋण पर प्रभाव :-** जहां एक ओर बैंकों में लोगों को कम ब्याज दर देने की होड़ लगी है। वहीं दूसरी ओर डिजिटल बैंकिंग लोगों को ऑनलाइन ऋण देने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उनके समय की बचत हो और बैंकों से भी ज्यादा से ज्यादा ऋण जुडे।

4. **मोबाइल बैंकिंग :-** मोबाइल बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली में एक क्रांति की तरह है। मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग की राह में आगे का उन्नत स्वरूप है जो कि समय के साथ लोगों की चाह बनेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मोबाइल को हर व्यक्ति हर वक्त अपने पास रखता है और उसी से हर एक कार्य करता है। बैंकिंग कार्यप्रणाली में मोबाइल बैंकिंग के द्वारा किए गए कार्य से अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होने का अवसर मिलता है।

5. **बाजार की सटीक भविष्यवाणी :-** चूँकि डिजिटल बैंकिंग में सभी डेटा सटीक रूप से संग्रहित रहता है, इसके कारण बाजार की सटीक भविष्यवाणी और ग्राहक को उच्च तकनीक से लैस सुविधा देने का अवसर प्राप्त होता है।

डिजिटल इंडिया भारत सरकार का सपना है। इसे सफल बनाने के लिए डिजिटल बैंकिंग की अहम भूमिका है। बैंक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके माध्यम से सरकार सभी विभागों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और कुशल बनाना चाहती है। इसका उद्देश्य जनता को सभी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना, अर्थव्यवस्था को नकदी रहित बनाना है। सरकार नकदी के स्थान पर डिजिटल लेनदेन को माध्यम बनाना चाहती है। डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से न सिर्फ हम ज्यादा ग्राहकों को जोड़ सकते हैं और उन्हें सर्वोत्तम सेवा दे सकते हैं, बल्कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों, को पूरा कर सकते हैं और अपनी लाभप्रदता में वृद्धि भी तीव्र गति से कर सकते हैं।

अनुबाला
वरिष्ठ प्रबन्धक
चौक शाखा, वाराणासी

“
एक चिनगारी कही से ढूँढ लाओ दोस्तों,
इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है।
एक खंडहर के हृदय-सी, एक जंगली फूल-सी,
आदमी की पीर गूंगी ही सही, गाती तो है।
-दुष्यंत कुमार
”

“
सहनशीलता,क्षमा,दया को
तभी पूजता जग है
बल का दर्प चमकता उसके
पीछे जब जगमग है।
-रामधारी सिंह 'दिनकर'
”

अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) और दिवालिया क़ानून

आजकल अनर्जक आस्तियाँ बैंकिंग उद्योग में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। बैंकों की शक्ति परीक्षा या यों कहिए कि उनकी सुदृढ़ता का पता उनकी अनर्जक आस्तियों के स्तर को देखकर चल जाता है। जिस बैंक की अनर्जक आस्तियों का स्तर जितना कम होता है, उस बैंक को उतना ही उत्तम बैंक माना जाता है। हमारे बैंक में अनर्जक आस्तियों का स्तर अन्य बैंकों की तुलना में कम है। इसका श्रेय हमारी सभी शाखाओं तथा उनके ऐसे सभी कर्मचारियों को जाता है, जिन्होंने बहुत मन लगाकर तथा देखभाल कर ऋण दिए तथा उनकी उचित तरीके से निरन्तर निगरानी की।

ऋण देना एक बहुत ही सरल कार्य है क्योंकि ऋण देने के लिए हम सभी अपने मुख्य कार्यालय के निर्धारित निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन उससे भी अधिक मुश्किल काम ऋण की निगरानी करना होता है। कोई भी ऋण अचानक अनर्जक आस्ति नहीं हो जाता है, उसे अनर्जक बनने के लिए कई स्तरों से गुजरना होता है जैसे कि एस एम ए-0, एस एम ए-1, एस एम ए-2 तथा एस एम ए-3 (स्टैण्डर्ड)। हमारा दायित्व होता है कि एस एम ए-1 में खाता जाने के पहले हम खाताधारक/ ऋण कर्ता को सूचित करें और उसे बाध्य करें कि वह अपने ऋण को सुचारु रूप से चलाए तथा किस्तों का भुगतान समय से करें। यदि कोई ऋण एस एम ए-2 की स्थिति में पहुँच जाता है तो हमें अपनी कोशिशों को और मजबूत करना चाहिए तथा ऋण कर्ता से कुछ कड़ाई से पेश आना चाहिए। यदि हमारे सभी प्रयत्नों के बावजूद भी ऋण खाता अनर्जक आस्तियों में परिवर्तित हो जाता है तो हमें बिना किसी देरी के क़ानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत ऋण वसूली के कदम उठाने चाहिए। सरफेसी अधिनियम 2001 एक बहुत ही अच्छा क़ानून है, जिसके अन्तर्गत बैंक अपना डूबा हुआ ऋण वापस वसूल करने में सफल रहे हैं।

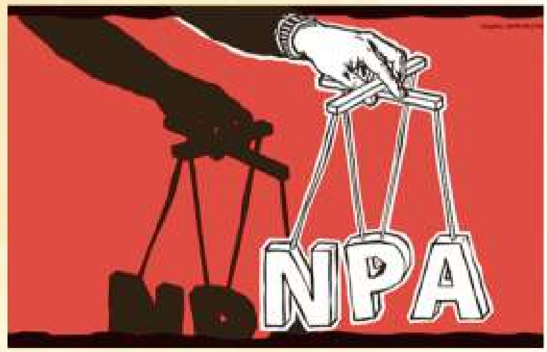

भारत सरकार ने कुछ समय पूर्व एक नया क़ानून बनाया है, जिसको साधारण भाषा में दिवालिया क़ानून कहते हैं। पिछले वर्षों में देखा गया है कि बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ऋण, अनर्जक आस्तियों में परिवर्तित हो रहे हैं। इन्हीं बड़े ऋणों को नियंत्रित करने के लिए तथा समय पर तरीके से उनकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए यह नया क़ानून बहुत उपयोगी साबित हुआ है। इस क़ानून के अन्तर्गत लिमिटेड कम्पनी तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी आती हैं। यदि कोई ऋण देने वाला बैंक किसी कम्पनी से अपना ऋण वसूल नहीं कर पाता है तो वह ऐसी कम्पनी के विरुद्ध एन सी एल टी (नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल) के समक्ष एक याचिका दायर कर सकता है। फिर नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल एक आई आर पी को नियुक्त करता है। यह आई आर पी सभी उधारकर्ताओं की एक बैठक बुलाता है। बैठक में कम्पनी की कार्यशैली तथा उससे ऋण की वसूली के कई तरीकों पर विचार किया जाता है। छः माह के अन्दर यदि ऋण वसूली का कोई ठोस रास्ता निकलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, अन्यथा कम्पनी का परिसमापन (लिक्विडेशन) किया जाता है अर्थात कम्पनी की सम्पत्तियों को बेचकर ऋण की वसूली की जाती है।

यद्यपि हमारे पास ऋण वसूली के कई विकल्प हैं, किन्तु हम ऐसी परिस्थिति पैदा ही न होने दें जिससे कि हमें ऋण वसूली के लिए अपना बहुमूल्य समय लगाना पड़े। इसके लिए हमें सिर्फ सावधानी से बैंकों के नियमों के अन्तर्गत ऋण देने चाहिए तथा लगातार उन पर निगरानी रखनी चाहिए।

*****

महेन्द्र सिंह रावत
मुख्य प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, भोपाल

भारतीय दर्शन में प्रबंधन की मूल अवधारणा

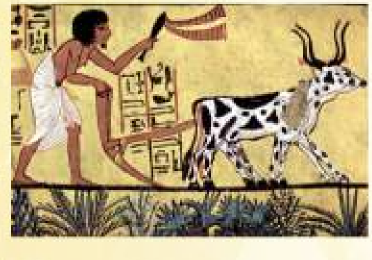

प्रबंधन विज्ञान का सम्बन्ध जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से सम्बंधित है। एक गृहिणी द्वारा अपनी रसोई, घर आदि के प्रबंधन से लेकर देश के सर्वोच्च शासक तक यह सम्बंधित है। प्रत्येक को इसकी आवश्यकता होती है। एक खिलाड़ी, कलाकार, व्यवसायी, ट्रस्टी, लेखक, अध्यापक, विद्यार्थी, प्रशासक, वैज्ञानिक,योगी,नेता सभी को इसकी आवश्यकता रहती है। देश के सर्वोच्च शासक का प्रबन्धन एक उच्च कोटि का कहा जा सकता है, जबकि एक चाय की दुकान वाले को निम्न कोटि का। परन्तु उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में कार्य की सफलता के लिए इसे 'योजनाबद्ध' तरीके से एवं 'अधिकतम कुशलता' से निरंतर करते रहने की सदैव अपेक्षा रहती है। अंतर आता है, कार्य क्षेत्र के'विस्तार' और 'उद्देश्य' के कारण।

अतःजीवन के इतने आवश्यक और महत्वपूर्ण पक्ष को दृष्टि में रखते हुए जरा देखें कि हम कहाँ हैं। देश में आज 'प्रबंधन विज्ञान' की अवधारणा और प्रयोग कैसे हैं ? प्राचीनतम सभ्यता होने पर भी क्या भारत अपने प्राचीन सार्वभौमिक व मूल्यों को प्रासंगिक समझता है और उन्हें महत्व देता हुआ अपने जीवन में धारण करने की भावना रखता है।

यह सर्वविदित है कि आज का आधुनिक जीवन पूर्णतया पश्चिम की अंधी नकल पर आधारित है। ये पश्चिमी देश अपनी आर्थिक स्थिति को मज़बूत करते हुए आज भी अपनी सामाजिक, नैतिक समस्याओं से जूझ रहें हैं और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए नए प्रकार के आर्थिक उपनिवेशवाद तथा गुटबंदी को प्रश्रय दे रहे हैं। भारत में श्रम-शक्ति,मानव-शक्ति और प्राकृतिक संसाधन की प्रचुर मात्रा होने पर भी आज़ादी के सात दशक बीतते-बीतते इसकी अर्थ-व्यवस्था चरमरा रही है, जिससे पूर्ण आधुनिक भारतीय जीवन शैली और विचारधारा पर ही प्रश्न चिह्न लग जाते हैं। ये प्रश्न चिह्न तब और अधिक गहरे लगते हैं जब कोई एक 'व्यक्ति विशेष' या 'संस्था' सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक और नैतिक व्यवस्था की जड़ को ही हिलाने वाला सिद्ध होता हो।

देश में कुशल कारीगरों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, उद्यमियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और श्रमिकों आदि की कोई कमी नहीं है। यद्यपि विश्व में देश तकनीशियनों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर है। इस पर भी देश प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखे आदि से निपटने के रास्ते अभी तक खोज नहीं पाया या विकसित न कर सका है। देश की गाड़ी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पा रही है। रुपये का मूल्यांकन और देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दिनोदिन निरंतर गिरती ही जा रही है और देश पर अंतर्राष्ट्रीय कर्ज,बैंकों के अनर्जक आस्ति (एनपीए) बढ़ते ही जा रहे हैं।

सभी प्रकार की क्षमताओं के होते हुए भी क्यों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अधिकाँश उपलब्धियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। तो क्या भारत की क्षमताओं का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है ? अथवा क्या भारतीयों में कुछ ऐसी बातें है जो प्रत्येक क्षेत्र के नेतृत्व को भलीभांति संभाल नहीं पा रहें ? एक सिंहावलोकन करे, तो हम पाते हैं कि दृढ़ संकल्प की कमी, राष्ट्रीय एकता की कमी, निरंतर हो रहे घोटालों, भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता, दिशाहीनता, जातिवाद, राजनीति का अपराधीकरण, सिस्टम को आसानी से दोहन करने के अवसर आदि से अधिकांश भारतीय समाज तथा नेतृत्व ग्रस्त होता हुआ दिखाई दे है, जो देश की प्रतिभाओं को ही निरंतर कुंठित कर रहा है।

अधिक विस्तार में न जाकर हम केवल कुछ एक मूल बातों पर ही ध्यान केन्द्रित करते हैं। अब तक के अनुभवों एवं घटनाक्रमों से यह स्पष्ट है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और न ही कमी है श्रम शक्ति और प्राकृतिक संसाधनों की।

परन्तु जब हम यह देखते हैं कि विश्व के अन्य देश कम श्रम-शक्ति, प्राकृतिक संसाधन एवं भू-भाग के होते हुए भी किस

प्रकार हमसे आगे निकल रहें हैं और देश में ही शीर्ष स्थान पर पहुंचते ही देश की कुछ प्रतिभाएँ क्या-क्या गुल खिलाना शुरू करती हैं तथा कोई एक व्यक्ति विशेष किस प्रकार से किसी भी महत्वपूर्ण व्यवस्था का ही दोहन करने और उसे झकझोर देने में आसानी से सक्षम हो जाता है तो यह देश में दृढ़ संकल्प, जनशक्ति के चरित्र, देश की मूल नीतियों, उपलब्ध साधनों और श्रम-शक्ति, जन-शक्ति के प्रबंधन पर ही प्रश्न चिह्न लगाता है।

आज के परिणाम भारतीय समाज की उस 'सृजन शक्ति' के पूर्णतया ह्रास की ओर इंगित करते हैं जिसके लिए हम गर्व से कहते रहे हैं कि रोमन, यूनानी, शक, हूण आदि सभी आए, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं । ऐसा लगने लगा है कि देश में अब वह उर्वर क्षमता रही नहीं है, जो हर क्षेत्र में उचित नेतृत्व को जन्म दे। अब हमें 'अमर' बनाने वाला सूत्र विलुप्त हो गया प्रतीत होता है। भारत के ज्ञात प्राचीन ऐतिहासिक काल से मध्य-युग तक यहाँ तक कि मध्य-युग में भी कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारत में दैनिक जीवन और दर्शन के क्षेत्र में एक निरंतर अनुसंधान एवं आत्म विश्लेषण तदनुरूप स्वयं को ढालने की प्रवृति समाज में सदैव रही, जो निश्चित रूप से उन शाश्वत नियमों की और संकेत करता है जिनके कारण हम 'अमर' बने रहे और जिनके कारण हमारी संस्कृति अमर रही। इस उर्वरता के ह्रास के कई कारण दृष्टिगोचर होते हैं, जो मूलतः नैतिक चरित्र निर्माण, लोक कल्याण और हमारी नीतियों तथा अवधारणाओं से सम्बंधित हैं,जिनके अभाव से निःसन्देह ऐसी विकट परिस्थितियाँ और असफलताएँ मिलती हैं, जैसी हमने उपरोक्त वर्णित की हैं।

इस सृजन शक्ति का मूल स्त्रोत एवं प्रारम्भिक बिंदु 'परिवार' है, जहाँ व्यक्ति का 'स्वभाव' और 'चरित्र' विकसित होता है, जो उसके पूरे जीवन को संचालित करता है।

हम कह सकते हैं कि भारत के पारिवारिक एवं सामाजिक ढाँचे का स्वरूप अब ऐसा नहीं रहा जो मौलिक चरित्रवान व्यक्तित्व का सृजन कर सके। यह कितना सत्य एवं तथ्यात्मक है, इसमें आप विवाद कर सकते हैं, परन्तु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि और उपलब्धियाँ तो यही दर्शाती हैं कि भारत की एक सौ पच्चीस करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाले समष्टिगत और व्यक्तिगत चरित्र का सृजन उस स्तर को छू भी नहीं पा रहा, जिसका कि आज के समय में होना उसके अस्तित्व के लिए परमावश्यक है। क्यों व्यक्ति विशेष ही सामाजिक, आर्थिक,राजनैतिक आदि क्षेत्रों में उभर कर उसका दोहन अनगिनत भ्रष्टाचारों और घोटालों को करते हुए पाए जाते हैं और कोई उनका कुछ ख़ास नहीं बिगाड़ पाता। इसमें कारण स्पष्ट है कि या तो समाज ऐसे ही व्यक्तियों के सृजन में लगा हुआ है तथा जीवन का ध्येय भी इसी से मिलता-जुलता है या व्यवस्था ही ऐसी है कि ऐसे लोग ही सफलतापूर्वक उच्च स्थानों पर पहुँचते हैं या सामूहिक भ्रष्टाचार को समाज ने मान्यता दे दी है या समाज में वह संकल्प, इच्छा शक्ति नहीं रही जो ऐसे लोगों का विरोध कर सही व्यक्तियों को प्रतिष्ठित कर उनसे नेतृत्व करवा सके। आज स्थिति यह है कि ये सभी बातें सत्य लगती हैं।

आज के सामाजिक परिवेश में जो विषमताएँ दिख रही हैं, उससे एक बात प्रकट होती है कि हमने व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में उसके 'स्वभाव' और'चरित्र' के विकास को न केवल अमहत्वपूर्ण समझा बल्कि इन्हें पूर्णतः भुला दिया।

भारतीय दर्शन में प्रबंध केवल संसाधनों, व्यवसाय या राजनैतिक गतिविधियों या विभिन्न परिस्थितियों के प्रबंध से ही संबंधित नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर यह व्यक्ति की प्रत्येक गतिविधि से संबंधित है। समष्टिगत स्तर पर यह लोक कल्याणार्थ कार्यों से सम्बंधित है, जिसे 'यज्ञ' का नाम दिया गया है। यज्ञ केवल हवन या अग्निहोत्र ही नहीं है, ये वास्तविक यज्ञ का एक नाट्य रूप है। वेदों के ज्ञान की व्याख्या में लिखे ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण (1/7/1/5) में यज्ञ की परिभाषा इस प्रकार दी है,यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म अर्थात् श्रेष्ठतम कर्मों को 'यज्ञ' कहा है और वहाँ विस्तार से बताया है कि यज्ञ हर वह कार्य है जो सर्वजन हिताय, लोक कल्याणार्थ है। आप देखेंगे कि हर तरह के भ्रष्टाचार और घोटाले जैसे कार्य हमारे प्राचीन भारतीय सार्वभौमिक ज्ञान के विरुद्ध ही हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता के एक श्लोक (3/5) में मनुष्य के एक अति महत्वपूर्ण गुण की और संकेत किया है जो व्यक्ति के हर तरह के व्यवहार और सोच में एक निर्णायक भूमिका निभाता है :

> न हीकश्चितत्क्षणमपिजातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
> कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे।।

गीता के उपरोक्त श्लोक में दो तथ्यों की और संकेत किया गया है:

1) मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, और
2) मनुष्य अपने 'स्वभाव से उत्पन्न गुणों' द्वारा विवश हो कर्म करता है।

आज व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र निर्माण की पूर्णतः उपेक्षा हो रही है जिसका परिणाम हमारे सामने यह है कि परिवार टूट रहे हैं और लोग भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त होने में झिझक महसूस नहीं करते हैं। गीता ने कर्म की श्रेष्ठता या अश्रेष्ठता उसको करने वाले व्यक्ति के 'स्वभाव' से संबंधित बताकर 'कर्म सिद्धांत' की अद्वितीय व्याख्या कर कर्मों के 'मूल स्रोत' की ओर इशारा किया है। यह मनुष्य का स्वभाव ही है जो उसे कर्म के लिए प्रेरित करता है। इसी स्वभाव के वशीभूत हो वह नैतिक या अनैतिक जीवन जीता है। भारतीय दर्शन प्रबंधन की शुरुआत इसी स्वभाव के प्रबंधन से शुरू करता है। इसी स्वभाव को श्रेष्ठ बनाने के लिए योग दर्शन (1/1,2) में एक प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अद्भुत तरीके से वर्णन है:

अथ योगानुशासनम्। योगश्चितवृतिः निरोधः।।

अर्थात व्यक्ति के चित्तवृतियों के नियंत्रण को ही 'योग' कहा है, जो 'अनुशासन' का ही नाम है। चित की वृतियाँ हैं - काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन वृतियों पर मनुष्य यदि नियंत्रण न करें तो वह ठीक निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। व्यक्ति के जीवन में अनुशासन न हों तो ये वृत्तियाँ उसे ऐसे प्रभावित करती हैं जैसे टूटे बाँध का अनियंत्रित पानी, जो अन्ततः विनाश ही करता है। यही कारण है कि जितने भी घोटाले, भ्रष्टाचार, अनैतिक मामले हैं, वे सब इन पाँच मूलभूत वृत्तियों के प्रभाव में आकर ही किए जाते हैं।

वास्तव में भारतीय मीमांसा के अंतर्गत प्रबंधन का वास्तविक अर्थ व्यक्ति के पूर्ण जीवन को कुशल प्रबंधन से है, जिसकी शुरुआत उसके स्वभाव और चरित्र से होती है। इन सबकी अभिव्यक्ति उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है, जहां भी वह व्यस्त है और जीवन के व्यावहारिक क्षेत्रों में कार्य करते हुए ऐसे व्यक्ति की काम, क्रोध, लोभ आदि अवगुणों से वशीभूत हो कार्य करने की संभावना बहुत कम होती है।

'प्रबंधन' भारतीय दर्शन प्रणाली में एक व्यवस्था है, यह 'चरम उद्देश्य' नहीं है, बल्कि उसकी प्राप्ति हेतू सुव्यवस्थित पुरुषार्थ है। इसके अंतर्गत निश्चित एवं सुस्थापित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतू कुशलतापूर्वक व्यक्तियों एवं संबंधित संसाधनों और विधियों का योजनाबद्ध क्रियान्वयन नहीं वरन् प्रबंध का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जो निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन के सकारात्मक सामाजिक कार्यो और लोकोपयोगी उत्पादन केन्द्रित कार्यों के निष्पादन, जिसे भारतीय दर्शन में 'यज्ञ' कहा है, में सफलतापूर्वक सहायक है।

हर्षवर्धन आनंद
वरिष्ठ प्रबंधक
अंचल कार्यालय, अमृतसर

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

दिनांक 14.09.2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिन्दी दिवस समारोह के दौरान वर्ष 2019-20 के लिए इंडियन बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका इंड-छवि को 'ग' क्षेत्र में राजभाषा विभाग,भारत सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार कीर्ति पुरस्कार (द्वितीय पुरस्कार) एवं राजभाषा कार्यान्वयन हेतु पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक को 'ग' क्षेत्र में कीर्ति पुरस्कार (द्वितीय पुरस्कार) से सम्मानित किया गया। उक्त दोनों पुरस्कार इंडियन बैंक की ओर से बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री वी.वी. शेणॉय ने ग्रहण किये।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

आपका अपना बैंक, हर कदम आपके साथ

YOUR OWN BANK, ALWAYS WITH YOU.

समन्वित विकास से बनाएँ सशक्त राष्ट्र

आइए, इंडियन बैंक के साथ मनाएँ आजादी का अमृत महोत्सव

अखिल भारतीय नेटवर्क। विस्तृत सेवाएँ। सुखद अनुभव

कॉर्पोरेट कार्यालय: 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा चेन्नै - 600 014

1800 425 000 00 www.indianbank.in हमें फॉलो करें: